




# Directorate of Land Records & Survey

Department of Revenue & Land Reforms

Government of Bihar

# MAGIC

## MAP AND GEOGRAPHIC INFORMATION COMPILATION





# प्रस्तावना

प्रवर्तमान विशेष सर्वेक्षण को तार्किक परिणति तक पहुँचाने के लिए तथा आँकड़ों के भविष्योपयोग की दृष्टि से प्रस्तुत संकलन/मार्गदर्शिका की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसे समय समय पर निदेशालय स्तर से निर्गत यथावश्यक दिशा निर्देश की एक कड़ी के रूप में समझा जा सकता है।

आँकड़ों के वृहत भविष्योपयोग को देखते हुए विशेषकर मानचित्र से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टियों में सावधानी की आवश्यकता है। अभी जब सर्वेक्षण कर्मी क्षेत्र में स्थल-सत्यापन, किस्तवार, खानापूरी का कार्य कर रहे हैं तो विशाल मात्रा में आँकड़ों का संकलन हो रहा है। पूर्व के भू-सर्वेक्षण से अगर इस सर्वेक्षण की तुलना की जाए तो यह स्पष्ट है कि विशेष सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक पर निर्भरता बहुत ज्यादा है। समस्त आँकड़ों को कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन एवं स्वचालित व्यवस्था के दायरे में लाया जाना है। अगर आँकड़ों की प्रकृति शुद्ध नहीं होगी तो बेमेल आँकड़ों से भविष्योपयोग की अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन होगा। विशेष सर्वेक्षण की चरणबद्ध प्रक्रियाओं का मानवीय प्राविधि की जगह आधुनिक तकनीक पर आधारित होने के कारण आँकड़ों के निर्माण के समय पर उसे शुद्ध करना, बदलना आसान होता है। एक बार आँकड़ों के कम्प्यूटरीकृत संधारण होने के बाद आँकड़ों को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वे सीमित एक्सेस और प्राधिकार आधारित उपयोग का हिस्सा होते हैं। इस आलोक में क्षेत्र स्तर पर मानचित्र संबंधी प्रविष्टियों में बरती जाने वाली सावधानियों एवं आँकड़ों की तार्किक संगति को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य में इस संकलन/मार्गदर्शिका से सहयोग मिल सके ऐसा प्रयास किया गया है।

अंत में मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा जी०आई०एस. सलाहकार, श्री चंदन कुमार एवं आई०टी० सेल, प्रभारी, सुश्री सुरभि सिंह का, जिनके निरंतर परिश्रम से यह प्रयास एक मूर्त रूप ले सका। इस कार्य में सहयोग हेतु तकनीकी कोषांग के सदस्य और श्री मनोज कुमार झा, उप-सचिव एवं श्री मुकुल कुमार, सहायक निदेशक सभी विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कामना करता हूँ कि यह संकलन/मार्गदर्शिका क्षेत्र स्तर पर कार्यरत सर्वेक्षण कर्मियों की GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) के बारे में समझ को और बेहतर बनाएगी तथा GIS संबंधी मानचित्र आधारित प्रविष्टियों के संबंध में तार्किक स्पष्टता प्राप्त करने में उपयोगी होगी।

(जय सिंह)

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
बिहार पटना।

## अनुक्रमणिका

क्र०	विषय	पृष्ठ सं०
1.	विशेष सर्वेक्षण में खेसरा-मानचित्र-निर्माण – एक संदर्भ	01-06
1.1	कंट्रोल प्वाइंट के वितरण का घनत्व	06-16
1.2	किस्तवार पूर्व मानचित्र में प्रदर्शित राजस्व ग्राम का स्थल सत्यापन	16-17
1.3	खेसरो की नम्बरिंग और भौतिक विवरणी का संकलन	18-19
1.4	राजस्व मानचित्रों में संकेत चिह्नों का समावेशन	19-20
1.5	D.T.D.B में समाविष्ट फीचरो की भौतिक शुद्धता	20-21
1.6	D.T.D.B में समाविष्ट फीचरो की तर्किक शुद्धता	21
2.	विशेष सर्वेक्षण में GIS का महत्त्व	22
2.1	GIS - Geographic Information System	22-25
2.2	Attribute Data	25-26
2.3	GIS Layer निर्माण से संबंधित प्रविष्टियाँ एवं क्षेत्र संबंधी कार्य	26-37
2.4	ऑकड़ों की संगति (Sympathy of Data)	37
2.5	14 Digit Parcel Unique ID	38-41
3.	भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में Form- 6 की इंट्री का मैनुअल	42-44
3.1	धारण के प्रकार (Holding Type)	45
3.2	नवैयत (स्वामित्व के आधार)	45
3.3	भूमि का प्रकार/वर्गीकरण	46
3.4	बिहार की जातियाँ	47-74
3.5	भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में Form- 6 की इंट्री का राजस्व ग्रामवार चेकलिस्ट	75

# 1. विशेष सर्वेक्षण में खेसरा-मानचित्र-निर्माण – एक संदर्भ

“विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम बिहार” के संदर्भ में यह जानना प्रासंगिक है कि किन उद्देश्यों का ध्यान में रखकर यह सर्वेक्षण कराया जा रहा है। इसका अंतिम फलाफल क्या होगा ? विभिन्न हितधारकों के जो उत्तरदायित्व हैं वह फलाफल को कैसे प्रभावित कर रहा है। यह जानना आवश्यक है। अगर फलाफल उत्तरदायित्व निर्वहन से प्रभावित हो रहा है तो ऐसी कौन-कौन सी सावधानियाँ है, जिसे अपनाने पर वांछित फलाफल की प्राप्ति के प्रति आश्वस्त हुआ जा सकता है। इस मार्गदर्शिका का उद्देश्य उन सावधानियों से अवगत होना है, जो भविष्य में हमारे कार्य के पूर्ण होने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने से बचा ले।


सर्वप्रथम “भू-सर्वेक्षण” एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है और यह “विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम” भी इससे अलग नहीं है। उपलब्ध भू-अभिलेख उपलब्ध मानचित्र तथा वर्तमान जमीनी हकीकत की आपसी संगति बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, इसलिए समस्त बिहार का भू-सर्वेक्षण किया जाना हमारी आवश्यकता हो गई। दूसरा इस संगति के खत्म होने का मूल कारण था समय के साथ अधिकार-अभिलेख और मानचित्रों अद्यतीकरण न हो पाना, इसलिए भविष्य के लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए कि स्वयमेव अद्यतीकरण की प्रक्रिया लागू रहे और अधिकार-अभिलेख, मानचित्र तथा जमीनी वास्तविकता ये तीनों सदैव संगति में रहें अर्थात्

## 1. अधिकार-अभिलेख और खेसरा मानचित्र सतत अद्यतन रहें


तथा

## 2. वर्तमान की वास्तविकताओं को प्रतिबिंब करें।

और यही उद्देश्य DILRMP (Digital India Land Record Modernization Programme ) का भी है जो कि 100 प्रतिशत फंडिंग वाली भारत सरकार के सेंट्रल सेक्टर की योजना है।



सर्वप्रथम बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में कई हितधारक हैं और यह तकनीकी रूप से एक जटिल कार्यक्रम है। अंतिम फलाफल कई स्तर पर किए गए कार्यों की गुणवत्ता से सीधे प्रभावित होता है।



सरकार, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी और रैयत इस कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले और इस कार्यक्रम से प्रभावित होने वाले तीन पक्ष हैं । इस सर्वेक्षण एजेंसी की भूमिका मानचित्र निर्माण एवं तकनीकी सहयोग की है, जो अस्थायी है अर्थात् जब तक यह कार्यक्रम प्रवर्तन में है तभी तक उनकी उपस्थिति है, इसके बाद सरकार और रैयत का ही संबंध स्थायी रूप से बचा रहेगा जो लोक सेवाओं की उपलब्धता पर आधारित होगा।

यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिविर स्तर पर किए गए कार्य की गुणवत्ता और हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्तर पर निर्मित मानचित्र की गुणवत्ता हमारे भविष्य की लोक सेवाओं को कैसे प्रभावित कर रहा है ? मानचित्र का निर्माण और अधिकार-अभिलेखों के साथ उसका समेकन वस्तुतः तकनीकी रूप से एक जटिल प्रक्रिया है। राज्य स्तरीय कार्य की विशालता को दृष्टिगत रखते हुए स्वाभाविक है कि तकनीकी रूप से कार्यबलों का पर्यवेक्षण उपलब्ध हो। इस बारिकी को समझने के लिए मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया से अवगत होना आवश्यक है तथा कहाँ-कहाँ सावधानी बरतनी है ? उसे जानना भी आवश्यक है। मानचित्र को एक कानूनी अभिलेख के रूप में मान्यता प्राप्त है, और परंपरागत रूप से यदि अधिकार-अभिलेख और मानचित्र में अंतर्विरोध पाया जाता है तो मानचित्र को प्रभावी माना जाता है। इसलिए सबसे पहले यह बात स्वीकारना आवश्यक है कि “मानचित्र की शुद्धता हमारे अंतिम फलाफल को सीधे प्रभावित करता है।” दूसरा “मानचित्र की शुद्धता हमारे कार्य प्रवाह को सीधे विलंबित या त्वरित करने की क्षमता रखता है। इसका सीधा संबंध प्रपत्र-8 में रैयतों द्वारा उठायी जानेवाली आपत्तियों की संख्या से है।”

“ भविष्य में Decision Support System के रूप में GIS का हम क्या उपयोग कर पायेंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने मानचित्र में किन-किन अवयवों को पुरोया है ? ”

अर्थात् मानचित्र निर्माण के स्तर पर शुद्धता के परिरक्षण हेतु बरती जानेवाली सावधानियाँ बहुत आवश्यक है और उन बिन्दुओं को जानना भी आवश्यक है, जिसके कारण मानचित्र में त्रुटि का समावेशन हो जाता है। इस पूरे कार्यक्रम के संचालन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा तीन तरह की प्राविधि में एक के चयन की स्वतंत्रता राज्यों को दी गई है। तीनों ही प्राविधियों में स्थल सत्यापन एक अनिवार्य अंग है अर्थात् मानचित्र स्थलीय ज्यामिति विशिष्टताओं को संपूर्णता में अभिव्यक्त कर रहा है या नहीं मानचित्र इसी जमीनी यथार्थ का एक आनुपातिक पुनर्निर्माण है। यह पुनर्निर्माण इतना सटीक होना चाहिए कि हम बिना क्षेत्र में गए मानचित्र के आधार पर किसी भी खेत या खेसरे का शुद्ध-शुद्ध क्षेत्रफल निकाल सके अर्थात् स्थलीय वास्तविकताओं को मानचित्र पर प्रदर्शित करने में शुद्धता का क्या स्तर अपनाया गया है ? उसी के लिए स्थल सत्यापन के विकल्प को अनिवार्य बनाया गया है। DILRMP के तहत मानचित्र की शुद्धता का अपना Mandate है जो कृषि क्षेत्रों में 20 सेमी एवं आबादी वाले क्षेत्रों में 10 सेमी0 है।

मानचित्र की वांछित शुद्धता को बनाए रखने के लिए पूरे कार्य-प्रवाह में विभिन्न चरणों पर गुणवत्ता नियंत्रण को अपनाए जाने की आवश्यकता है। गुणवत्ता नियंत्रण के कई विकल्प पूर्व प्रावधानित हैं, जिनके अनुपालन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

गुणवत्ता नियंत्रण एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह **One time process** नहीं हो सकता है। यह एक **Continuous Struggle** है। मानचित्र निर्माण के संदर्भ में जिन-जिन बिन्दुओं पर त्रुटि के अंतर्वेशित होने का डर होता है, वहाँ-वहाँ पर त्रुटि निवारण हेतु संबंधित प्रक्रियाओं को कार्य-प्रवाह का हिस्सा बनाया जाना आवश्यक होता है। मानचित्र निर्माण के कार्य का बाह्यस्त्रीतीकरण किया गया है, इसे निविदा द्वारा चयनित हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सौंपा गया है। पूरे बिहार के जिलों को तीन हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों के मध्य वितरित किया गया है। इन हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा प्रावधानित विकल्प “हवाई फोटोग्राफी द्वारा मानचित्र निर्माण तथा ETS/DGPS द्वारा स्थल सत्यापन” के माध्यम से मानचित्र निर्मित किया जा रहा है। इस तकनीक को बिहार के परिवेश की अनुकूलता के कारण अपनाया गया है। इस तकनीक में मानचित्र निर्माण की विधा को “फोटोग्रामेट्री” के नाम से जाना जाता है। फोटोग्रामेट्री के अंतर्गत त्रुटियों को अंतर्वेशन भी कई स्तरों पर संभव है। कंट्रोल प्वाइंट के मोन्यूमेंटेशन, एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग, फोटोग्राफ का अधिग्रहण, फोटोग्राफ की प्रोसेसिंग, ऑर्थोफोटोग्राफ और टाईल्स का निर्माण, ऑर्थोफोटोग्राफ्स के डिजिटাইजेशन से राजस्व ग्रामों के मानचित्र निर्माण तक की सारी प्रक्रियाएँ एजेंसी के द्वारा संपादित की जाती हैं। उनके कार्य लैब आधारित एवं सॉफ्टवेयर पर आधारित एवं कम्प्यूटरीकृत हैं, जिसमें हस्तक्षेप व्यावहारिक भी नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग के दौरान त्रुटियों के रह जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि पारंपरिक पद्धति में भू सतह के ज्यामितिक विन्यास को प्लेन टेबल पर आरेखन (Drawing) के द्वारा Replicate किया जाता था, जबकि “फोटोग्रामेट्री” में या तो प्रोसेस्ड ऑर्थोफोटोग्राफ के डिजिटাইजेशन/वेक्टराइजेशन से या फिर स्टीरियो मॉडल (3D) के डिजिटাইजेशन/ वेक्टराइजेशन से ज्यामितिक विन्यास को Replicate किया जाता है। स्वाभाविक रूप से Tracing की Accuracy Hand Drawing की accuracy से ज्यादा होती है। इसलिए आधुनिक तकनीक से बने मानचित्रों का स्वाभाविक रूप से पारंपरिक मानचित्र से ज्यादा शुद्ध होने का संभावना होती है। बावजूद इसके बिना सत्यापन के ऐसा प्रमाणित नहीं कहा जा सकता है।



अतः कार्यवाह के क्रम में मानचित्र निर्माण से संबंधित विभिन्न चरणों पर गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कतिपय बिन्दुओं पर एक चेक आवश्यक है।

- 1.1 कंट्रोल प्वाइंट के वितरण का घनत्व।
- 1.2 किस्तवार पूर्व मानचित्र में प्रदर्शित राजस्व ग्राम का स्थल सत्यापन।
- 1.3 खेसरो की नम्बरिंग और भौतिक विवरणी का संकलन।
- 1.4 राजस्व मानचित्रों में संकेत चिह्नों का समावेशन।
- 1.5 D.T.D.B में समाविष्ट फीचरों की भौतिक शुद्धता।
- 1.6 D.T.D.B में समाविष्ट फीचरों की तर्किक शुद्धता।

**1.1 कंट्रोल प्वाइंट के वितरण का घनत्व:-** विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत आधुनिक तकनीक से निर्मित हो रहे हमारे राजस्व मानचित्र भू-संदर्भित (Geo-refernced) होंगे। निर्मित हो रहे मानचित्रों की शुद्धता कंट्रोल प्वाइंट से सबसे मौलिक रूप से प्रभावित होती हैं। यही कंट्रोल प्वाइंट जियोरेफरेंसिंग का भी आधार होती हैं, जिससे निर्मित हो रहे डिजिटल मानचित्रों में कम्प्यूटर पर मापी का काम आसानी से संभव हो पाता है। DILRMP योजना के दिशा-निदेशों के तहत विभिन्न स्तरों के कंट्रोल प्वाइंट की चर्चा की गई है तथा उनका एक वितरण घनत्व प्रस्तावित किया गया है।

Type of Control Points	Grid distance	D.G.P.S Observation time
PCP- Primary Control Point	16km x 16km	72 hours
SCP- Secondary Control Point	4km x 4km	4 hours
TCP- Tertiary Control Point	1km x 1km	45 minutes to 1 hours
ACP- Auxillary Control Point		15 minutes or less

सभी कंट्रोल प्वाइंट एक नेटवर्क का निर्माण करेंगे। सभी PCP (Primary Control Point) भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थापित किए गए कंट्रोल प्वाइंट से संबंध रहेंगे। इसी तरह SCP (Secondary Control Point) प्रत्येक PCP (Primary Control Point) से संबंध रहेंगे और TCP (Tertiary Control Point) SCP (Secondary Control Point) से संबंध रहेंगे। क्रमशः सभी ACP (Auxillary Control Point) TCP (Tertiary Control Point) से संबंध रहेंगे। इस तरह हरेक तरह के कंट्रोल प्वाइंट को मिलाकर एक नेटवर्क का निर्माण किया जाना है, जिससे भू-संदर्भन (Geo-referencing) का कार्य किया जाता है।

हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा प्रत्येक जिले में एक PCP (Primary Control Point) के मोन्यूमेंटेशन एवं ऑब्जर्वेशन का कार्य किया गया है। द्वितीयक कंट्रोल प्वाइंट 16km x 16km ग्रीड पर स्थापित किया गया है। कतिपय जगहों पर तृतीयक कंट्रोल प्वाइंट की भी स्थापना की गई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ETS से मापी हेतु तृतीयक कंट्रोल प्वाइंट की आवश्यकता होगी, जिसका घनत्व नितांत अपर्याप्त है। पारंपरिक संदर्भ में देखे तो त्रि-सीमाना राजस्व ग्राम के विस्तार की दृष्टि से बहुत ही सुविधाजनक संदर्भ बिन्दु है।

**पहला** तो इसकी विधिक मान्यता है।

**दूसरा**, भौगोलिक रूप से तीन राजस्व ग्रामों की सीमा के सम्मिलन बिंदु पर अवस्थित है।

**तीसरा**, विवाद समाधान हेतु तथा स्थानीय मापी के लिए इसका उपयोग संदर्भ बिन्दु के रूप में किया जा सकता है।

अतएवं सभी त्रि-सीमाना को चिह्नित कर एवं अवस्थिति को सत्यापित कर एक पिलर का मोन्यूमेंटेशन किया जाना है। जिसका D.G.P.S से तृतीयक कंट्रोल प्वाइंट TCP के बराबर अर्थात् 45 मिनट से 1 घंटे का प्रेक्षण किया जाना है। फिर सारे त्रि-सीमाना को कंट्रोल प्वाइंट के नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाना है, ताकि मानचित्र वांछित शुद्धता को धारण करें।



## विशेष सर्वेक्षण अंतर्गत किस्तवार प्रक्रिया में ग्रामसीमा सत्यापन पूर्व त्रिसीमानों के पहचान की प्रक्रिया

कोई भी त्रिसीमाना तीन राजस्व ग्रामों का साझा संदर्भ बिन्दु होता है। उसी तरह कोई भी ग्राम सीमा दो राजस्व ग्रामों के मध्य साझी रेखा होती है, जो अद्वितीय प्रकृति (Unique Nature) की होती है।

ग्रामसीमा निर्धारण एवं सत्यापन के पूर्व उन बिन्दुओं की पहचान एवं उनका सत्यापन किया जाना आवश्यक है जिस बिन्दु पर तीन ग्राम की सीमा मिलती है। किसी एक बिन्दु पर दो तीन या चार ग्राम की सीमाएँ आपस में मिल सकती है। ग्राम सीमा निर्धारण के लिए आमतौर पर ऐसे बिन्दुओं को ही मानक माना जाता है जहाँ तीन ग्रामों की सीमा आपस में मिलती हों। तीन से अधिक ग्रामों की सीमा का मिलान बिन्दु बहुत कम संख्या में देखा जाता है। तीन अलग-अलग ग्रामों की सीमाओं के मिलान बिन्दु जिसे सामान्य भाषा में त्रिसीमाना कहा जाता है की पहचान एवं सत्यापन की प्रक्रिया निम्नवत है :-


### प्रथम चरण

सर्वप्रथम जिस तीन राजस्व ग्राम के मध्य त्रिसीमाना की पहचान की जानी है उसके साथ संलग्न तीनों ग्रामों के विगत सर्वेक्षण (कैडस्ट्रल/रिविजनल/चकबंदी) के मानचित्रों में जो वहाँ प्रचलित हो की उपलब्धता, सुनिश्चित कर लेनी है। त्रिसीमाना की पहचान एवं सत्यापन के समय तीनों राजस्व ग्राम के अमीन/प्रतिनिधि को अपने-अपने राजस्व ग्राम के विगत सर्वेक्षण मानचित्र एवं विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के साथ स्थल पर उपस्थित रहना है।

### द्वितीय चरण

किसी भी राजस्व ग्राम के मानचित्र पर त्रिसीमाना एक त्रिभुज और तोखालाइन द्वारा दिखलाया रहता है। तीन अलग-अलग राजस्व मानचित्र में जिनकी सीमाएँ आपस में एक बिन्दु पर सटी हुई है, प्रदर्शित त्रिसीमाना वस्तुतः एक ही बिन्दु का संकेत करते हैं।

ज़िला नालन्दा	
मज़रू नाम :	बोगा
Mouza Name :	Wana No 1
खाना नम्बर :	१
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	६०
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	६०
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	६०
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	६०
राज्य :	बिहार
ज़िला :	
परगना :	पिपितवा
सूचना	पृष्ठ सं. १००



ज़िला नालन्दा	
मज़रू नाम :	बोगा
Mouza Name :	Wana No 2
खाना नम्बर :	२
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	१००
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	१००
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	१००
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	१००
राज्य :	बिहार
ज़िला :	
परगना :	बेरावक
सूचना	पृष्ठ सं. १००

ज़िला नालन्दा	
मज़रू नाम :	चनौली
Mouza Name :	Chanoli
खाना नम्बर :	२८
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	१००
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	१००
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	१००
समस्त ज़मीन का क्षेत्रफल	१००
राज्य :	बिहार
ज़िला :	
परगना :	बेरावक
सूचना	पृष्ठ सं. १००

**All these three points are on different revenue village maps but they correspond a single point on the earth surface.**

यह त्रिसीमाना वास्तविक धरातल पर सही-सही किस स्थान पर होगा ? इसकी पहचान के लिए अथवा पूर्व से स्थापित त्रिसीमाना के सत्यापन के लिए तीनों राजस्व ग्रामों में एक या दो मुस्तकिल की पहचान किया जाना आवश्यक है।



[**तोखालाईन** – यह त्रिसीमाना के रूप में प्रदर्शित त्रिभुज के शीर्ष बिन्दु पर एक जरीब हटकर पाँच जरीब की रेखा द्वारा प्रदर्शित होता है जिसकी दिशा इस बात का संकेत करती है कि बाँकि दो राजस्व ग्राम के मध्य साझी सीमा किस दिशा में जा रही है।

**मुस्तकिल**— मुस्तकिल उन बिन्दुओं को कहा जाता है जिनके स्थान में वास्तविक धरातल पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जो विगत सर्वेक्षण के समय से अब तक उसी स्थान पर स्थापित है और जो विगत सर्वेक्षण के मानचित्र पर भिन्न-भिन्न संकेत चिह्नों द्वारा प्रदर्शित है। वास्तविक भूमि पर ये मुस्तकिल मेड़ों के कटान यथा तिमेड़ा, चौमेड़ा के रूप में अथवा किसी आकृति यथा कुँआ, मंदिर, ताड़, वरगद या कोई अन्य बड़ा वृक्ष, खम्भा, जमीन में गाड़े हुए पत्थर इत्यादि के रूप में हो सकते हैं। इन आकृतियों को अलग-अलग संकेत चिह्नों द्वारा मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे सैकड़ों मुस्तकिलों को मानचित्र पर पहचाना जा सकता है। सबसे सुलभता से मिलने वाले मुस्तकिल “तिमेड़ा” चौमेड़ा, कुआँ और पेड़ हैं। इसे इस रूप में आसानी से समझा जा सकता है कि “वैसे बिन्दु जो दोनों मानचित्र अर्थात् CS एवं SS पर प्रदर्शित है तथा उसे जमीन पर पहचान लिया गया है वही मुस्तकिल है।”]


आमतौर पर सर्वेक्षण कार्य हेतु कुछ मुस्तकिल वर्तमान में अवश्य मिल जाते हैं। ऐसे मुस्तकिल विगत सर्वेक्षण एवं विशेष सर्वेक्षण दोनों मानचित्रों पर प्रदर्शित होने के साथ-साथ वास्तविक धरातल पर भी अवस्थित होते हैं और इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे ग्रामों में जहाँ भूमि का कुल रकबा बहुत कम होता है या फिर भूमि की प्रकृति समतल एवं आकृतिविहिन होती है वहाँ मुस्तकिल नहीं मिलने की स्थिति में सटे हुए ग्राम की सीमा एवं मुस्तकिल के आधार पर ग्राम सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए।

### तृतीय चरण


त्रिसीमाना से सम्बद्ध तीनों राजस्व ग्रामों में मुस्तकिल की पहचान के पश्चात् प्रत्येक ग्राम के राजस्व मानचित्र में चिन्हित किए गए त्रिसीमाना से तीनों ग्रामों में पाए गए मुस्तकिलों की दूरी को कैलिपर (परकाल) से माप कर निकालना है। इसी दूरी अर्थात् त्रिसीमाना से मुस्तकिल की दूरी को


टाईलाईन (Tie-line अर्थात् बांधने वाली रेखा) कहा जाता है। इस मापी के बाद तीनों ग्राम का Some Set of distances कैलिपर (परकाल) से माप कर आँकड़ों के रूप में लिख लेना है।

यह जरूरी है कि त्रिसीमाने से संलग्न प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिए कम से कम एक टाईलाईन की दूरी अवश्य सत्यापित की जाए।











उदाहरण के लिए वेना, मोरा और धमौली नामक राजस्व ग्राम आपस में त्रिसीमाना पर मिल रहे हैं। “वेना” राजस्व ग्राम में 2, “मोरा” राजस्व ग्राम में 3 और “धमौली” राजस्व ग्राम में 4 मुस्तकिल की पहचान की गई है अर्थात् स्थल पर पाये जाने वाले ऐसे बिन्दु जो गत् सर्वे तथा प्रवर्तमान विशेष सर्वेक्षण सर्वे दोनों के मानचित्र में अंकित है। इन सभी टाईलाईन की दूरी को ई0टी0एस0 से माप कर जमीन पर सत्यापित करना होता है। कम से कम तीन टाईलाईन जो कि अलग-अलग राजस्व ग्राम में पड़ रहे हैं, उनका सत्यापित होना आवश्यक होता है।






## चतुर्थ चरण

मानचित्र में त्रिसीमाना और मुस्तकिल के मध्य की दूरी टाईलाईन की माप प्राप्त करने के पश्चात वास्तविक धरातल पर उस स्थान पर पहुँचना है जहाँ अलग-अलग तीन ग्रामों के खेत एक स्थान पर मिले हुए दिखाई पड़ रहे हों। इस स्थान पर त्रिसीमाना का जो संभावित स्थान (Tentative Location) होगा जो लगभग 4 से 5 फीट के दायरे में होगा। अब E.T.S को किसी ऐसे सुविधाजनक जगह पर स्टेशन करते हैं ताकि मुस्तकिल और त्रिसीमाना बिना अवरोध के दिखाई दे। अब E.T.S. से मुस्तकिल और त्रिसीमाना के बीच की दूरी को Measure करते हैं और फिर इसे measured set of distance अर्थात् टाईलाईन की लंबाई से मैच कराकर कन्फर्म करते हैं। त्रिसीमाना का बिन्दु अगर Sharply defined है और मुस्तकिल से distance ETS से Confirm होता है तो उसे ही त्रिसीमाना के रूप में Identify कर लेते हैं। अगर चार पाँच फीट का Region मिल रहा है तो त्रिसीमाना पर के Prism को थोड़ा स्थान बदल कर Adjust करते हैं। जिस जगह पर

तीनों राजस्व ग्राम के मुस्तकिल से त्रिसीमाना का Distance measurement मैच कर जाता है उस बिन्दु को त्रिसीमाना के रूप में नियत कर लिया जाता है।



उपरोक्त चित्र में वेना, मोरा और धमौली के मध्य साझा किये जा रहे संदर्भ बिन्दु को तीन टाईलाईन द्वारा त्रिसीमाना के रूप में नियत कर दिया गया है। त्रिसीमाने को नियत करने के लिए तीन टाईलाईन का होना जरूरी है। सामान्य और आदर्श स्थिति में प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक टाईलाईन पड़ना चाहिए।

**सावधानी** – जब राजस्व ग्राम मानचित्र पर Distance निकालते हैं तो इसे कभी भी Direct गुनिया या स्केल से नहीं मापना चाहिए बल्कि कैलिपर से निकाल कर फिर गुनिया या स्केल पर measure करना चाहिए अन्यथा नेत्रानुमान से दो तीन फीट का Error आने का डर रहता है। ETS से जब जमीन की दूरी माप ली जाती है और वह Confirm हो जाता है तो उसकी प्रमाणिकता सबसे ज्यादा होती है। चूंकि यही वह दूरी है, जिसको सभी मानचित्र (CS, RS, SS) में प्रदर्शित किया

गया होता है तथा यह चेन की मापी की त्रुटियों से मुक्त होता है (यथा चेन का सीधा या झुला हुआ होना Linear alignment का error इत्यादि) इसी दूरी को C.S पर भी दिखाया गया था, इसी दूरी को S.S पर भी दिखाया गया है। अगर C.S/R.S/S.S किसी में भी error distributed रहता है तो उसका पता भी इस समय चल जाता है। सुविधा की दृष्टि से यदि मुस्तकिल को पहले से पहचान कर रखा जाए तो फिल्ड में टाईलाईन सत्यापन में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है तथा त्रिसीमानों की पहचान को शीघ्रता से संपादित किया जा सकता है। अंतिम रूप से त्रिसीमाना नियत होने के बाद वहाँ निशान लगा दिया जाता है ताकि Pillar Monumatation के बाद उस पर कोड अंकित किया जा सके और उसका DGPS Observation लिया जा सके।


## 1.2 किस्तवार पूर्व मानचित्र में प्रदर्शित राजस्व ग्राम का स्थल सत्यापन:— पारंपरिक

रूप से राजस्व ग्राम के मानचित्र या उसकी स्थलीय ज्यामिति का स्थिर हो जाना ही किस्तवार माना जाता था। उस दृष्टि से देखे तो किस्तवार का कार्य मूलतः हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानचित्र का सत्यापन, नंबरिंग, भौतिक विवरणी का संकलन और आबादी सीमांकन जैसे कार्य शेष बचे रह जाते हैं। इसलिए औपचारिक रूप से किस्तवार के अंतर्गत इन्हीं शेष बची हुई प्रक्रियाओं को डाला गया है, जिसे शिविर के अंतर्गत संपन्न किया जाना है। वस्तुतः हम व्यापक स्तर पर पूरे राजस्व ग्राम का जमीनी मिलान करते हैं कि Broadly हमारे राजस्व ग्राम का मानचित्रण इस शुद्धता के साथ हुआ है कि नहीं ? ताकि उस पर आगे किस्तवार और खानापूरी की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जा सके। यह एक आसान और एक दिवसीय प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया इस तर्क पर आधारित है कि चूके मानचित्र का निर्माण ऑर्थोफोटोग्राफ पर ट्रेसिंग के द्वारा किया गया है, इसलिए ऑर्थोफोटोग्राफ पर उपलब्ध ज्यामिति और मानचित्र में लाई गई ज्यामिति में सर्वांगसमता का संबंध होगा।

इसके लिए राजस्व ग्राम में किसी भी दो लंबवत् दिशाओं का चयन किया जाता है, जिसमें Line of Sight दृश्य हो अर्थात् ETS से जमीनी दूरी का मापन संभव हो। अब राजस्व ग्राम में यथा संभव अधिकतम दूरी वाले या राजस्व ग्राम सीमा स्थल पर के समीप किसी बिन्दु को पहचानते हैं, जो मानचित्र पर प्रदर्शित है। अब इनके बीच की दूरी का मापन ETS से किया जाता है। पुनश्च इसी दूरी को मानचित्र पर निकालते हैं। यह कार्य हॉर्ड कॉपी मानचित्र पर दोनों बिन्दुओं के बीच की दूरी



स्केल से माप कर निकाल सकते है। मानचित्र पर दो बिन्दुओं के मध्य दूरी निकालने का काम कम्प्यूटर पर भी किया जा सकता है। ETS द्वारा मापी गयी जमीनी दूरी और मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी का अंतर 20सेमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।



|| AB की जमीनी दूरी – मानचित्र पर AB की दूरी ||  $\leq$  20 cm

उसी तरह

|| CD की जमीनी दूरी – मानचित्र पर CD की दूरी ||  $\leq$  20 cm

इस प्रक्रिया को दो लंबवत् दिशाओं में दुहराए जाने के कारण यह होता है कि अगर किसी दिशा में त्रुटि है, अंतर है तो कोई ना कोई अंश लंबवत् दिशाओं में जरूर प्रक्षिप्त होगा तथा इसका पता चल जाएगा।

**1.3 खेसरोँ की नबरिंग और भौतिक विवरणी का संकलन—** खेसरा मानचित्र निर्माण प्रक्रिया में स्वामित्व ही खेसरोँ के निर्माण का आधार होता है। हवाई फोटोग्राफी में डिजिटलइजेशन से निर्मित हुए Polygon सामान्यतः खेतों को प्रदर्शित करते हैं जो मेड़ों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य स्वामित्व वाले Polygon को पहचानना होता है। बहुत संभव है आपस में दो चार सटे हुए खेत एक ही स्वामित्व के अधीन हो इसलिए उन्हें एक वृहत्तर Polygon द्वारा एक खेसरे के रूप में दिखाया जाता है। इस तरह से किसी राजस्व ग्राम के सभी खेसरोँ को निर्मित कर उसकी नबरिंग उ0प0 दिशा से द0पू0 दिशा में की जाती है।

विदित हो यह प्रक्रिया क्षेत्र में निरंतर चलती है, 90–95 प्रतिशत कार्य प्रारंभिक स्तर पर हो जाता है, लेकिन Polygon नबरिंग और ज्यामिति में स्थिरता तब तक नहीं आ सकती है, जब तक खानापूरी कार्य और सुनवाई के निर्गत आदेशों का अनुपालन पूर्ण नहीं हो जाता है। इसी दौरान त्रि-सीमानों की अवस्थिति का सत्यापन और राजस्व ग्राम की सीमा भी सत्यापित की जाती है। इसके बाद खानापूरी में क्षेत्रफल का मिलान अभिलेख से और खेसरोँ से किया जाता है। इसलिए राजस्व ग्राम की सीमा सत्यापित होने के बाद Random एवं Rough नंबर के साथ खेसरोँ को Populate कर के Area Statement निकाल लिया जाता है, यह कार्य हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि अमीनों को एक संदर्भ मिला रहता है, जिससे वे अभिलेखों के क्षेत्रफल का मिलान खेसरोँ के क्षेत्रफल से कर सकते हैं। यह कार्य हॉर्ड कॉपी में खेसरा—पंजी भरते समय आवश्यक होता है। इसी समय अमीनों द्वारा संबंधित राजस्व ग्राम के मानचित्र के Blank Working Map Sheet पर नबरिंग का कार्य करते जाया जाता है।

इस तरह से विशेष सर्वेक्षण में नए खेसरोँ को नया खेसरा नम्बर मिल जाता है। जिस समय खेसरोँ की नबरिंग की जाती है, उस समय विशेष सर्वेक्षण अमीन क्षेत्र में मानचित्र की ज्यामिति का खेतों की ज्यामिति से मिलान करते हैं। इस कार्य हेतु अमीन का संबंधित खेत पर उपस्थित रहना आवश्यक हो जाता है। इसी समय खेसरोँ की भौतिक विवरणी का भी संकलन खेसरोँ के विरुद्ध कर लिया जाता है। बाद में यही विवरणी GIS के विभिन्न लेयरों के लिए आधार का काम करते हैं।

किसी भी खेसरे में भौतिक विवरणी वस्तुतः उस खेसरे में दिखाई देने वाली स्थाई प्रकृति की चीजे हैं। इसमें से कई मानव निर्मित हो सकती हैं, कई प्राकृतिक हो सकती हैं। इनका ज्यामितिक विस्तार क्या है, उससे निर्धारित होता है कि उन्हें Point Feature के द्वारा प्रदर्शित किया जाय, या Line Feature के द्वारा या Polygon Feature के द्वारा सामान्यतः इन्हें संकेत चिह्नों (Legends) के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसे अंतिम रूप से प्रकाशित मानचित्र पर संदर्भ हेतु दर्शाया जाता है।

सामान्य नियम यही है कि जैसे-जैसे मानचित्र का आकार बड़ा होता जाता है अर्थात् मानचित्र का स्केल बड़ा होता जाता है, उसी अनुपात में दर्शाए जाने वाले Features का Detail बढ़ता चला जाता है।

**1.4. राजस्व मानचित्रों में संकेत चिह्नों का समावेशन** – मानचित्र में दर्शाए जानेवाले संकेत चिह्नों का चयन कैसे किया जाय ? ऐसी बहुत सी चीजें खेसरों पर दिखाई दे सकती हैं पर केवल वैसी चीजों को ही संकेत चिह्न के रूप में दिखाया जाना चाहिए, जो स्थायी प्रकृति के हों। साथ ही स्वतंत्र रूप से ऐसी चीजें महत्वहीन दिख सकती हैं लेकिन Bigger Picture लेने पर इनका किसी विशिष्ट फीचर का पूरा नेटवर्क जी0आई0एस0 की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी खेसरे में यदि HTL पाइलॉन है तो खेसरे के भू-स्वामित्व की दृष्टि से यह महत्वहीन जानकारी हो सकती है लेकिन अगर भौतिक विवरणी में सभी राजस्व ग्राम के सभी HTL पाइलॉन को दिखाया गया है तो पूरे जिले का मानचित्र तैयार करने पर हाइटेशन लाइन का पूरा नेटवर्क आसानी से देखा जा सकता है।

भौतिक विवरणी की सूची जितनी विस्तृत और उनका उप वर्गीकरण जितना विलग (disjoint) होगा। मानचित्र पर अंकन में उतनी ही स्पष्टता रहेगी।

मानचित्र पर इन संकेत चिह्नों को प्रदर्शित करने का कार्य हवाई एजेंसी द्वारा किया जाता है। इसके लिए भौतिक विवरणी की सूची निदेशालय स्तर पर निर्मित की गई है। हवाई एजेंसी द्वारा इन्हे मानचित्र पर अंकित करने का कार्य दो स्त्रोंतों से किया जाना है।

1. भौतिक विवरणी के वर्णित सूची के जो घटक ऑर्थो फोटोग्राफ पर दिखाई दे रहे हैं इन्हें स्थानिक शुद्धता के साथ निर्धारित संकेत चिन्ह के साथ अंकित कर लिया जाता है।
2. खेसरा पंजी में अंकित भौतिक विवरणी में जिन चीजों का उल्लेख किया गया है उसे भी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी मानचित्र पर स्थानिक शुद्धता के साथ अंकित करेंगी।

**1. 5. D.T.D.B में समाविष्ट फीचरों की भौतिक शुद्धता**— विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत समस्त संकलित ऑकड़ों को जी0आई0एस0 प्लेटफार्म पर उपयोग में लाया जाना है। जी0आई0एस0 प्लेटफार्म में प्रयुक्त होने वाले समस्त ऑकड़ों को दो रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- i. स्थानिक प्रकृति के (Spatial)
- ii. वर्णनात्मक प्रकृति के (Textual)

इन्हीं दोनों तरह के ऑकड़ों को मिलाकर D.T.D.B का निर्माण होता है। Spatial डाटा वे हैं जिन्हें मानचित्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है और जिनका भूसंदर्भन संभव है, जैसे – point, line, polygon। वर्णनात्मक प्रकृति के डाटा का एक अच्छा उदाहरण ROR या अधिकार अभिलेख है। कोई भी अधिकार अभिलेख किसी विशिष्ट Polygon या खेसरे के संबंध में वर्णनात्मक सूचनाएँ संग्रहित करता है। जैसे किसी खेसरा का मालिक कौन है? इसकी प्रकृति क्या है? उस पर किस जाति के लोग काबिज है? उसपर पक्का मकान है या कच्चा मकान? इस तरह की कोई भी सूचना जिसे शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है। ऐसे कितने भी बड़े वर्णन को Point feature, लाईन फीचर्स या Polygon फीचर्स के साथ integrate किया जा सकता है।

भौतिक शुद्धता का अर्थ है (Geo-referenced) भू-संदर्भित मानचित्र में किसी भी फीचर्स को ठीक उसी स्थान (Lat-Long) पर होना चाहिए जहाँ उसकी अवस्थिति है। ऐसा इसलिए जरूरी है कि भू-सतह पर दृश्य एवं स्थायी फीचर्स के बीच एक खास ज्यामितिक संबंध होता है। जिसे “टोपोलॉजी” कहा जाता है। सरल शब्दों में कोई विशिष्ट फीचर अन्य अलग-अलग फीचर से एक विशिष्ट दूरी पर अवस्थित होता है। यही ज्यामितिक मानचित्र में भी सटीकता से प्रदर्शित होना चाहिए क्योंकि मानचित्र इसी यथार्थ का पुनर्निर्माण है। यह ज्यामिति भू-सतह पर बिल्कुल नियत



होती है और यही ज्यमिति संबंध शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं होगा अगर किसी फीचर को जानबूझ कर गलत स्थान पर प्रदर्शित कर दिया जाय। इसी आधार पर अलग-अलग भौगोलिक मानचित्रों की टोपोलॉजी अपनी विशिष्टता ग्रहण करता है।

**1.6 D.T.D.B में समाविष्ट फीचरों की शुद्धता-** D.T.D.B में संधारित डाटा/ऑकड़ों में आपस में संगति होनी चाहिए अर्थात् इनमें आपस में तर्किक अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। डिजिटल डाटा के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि "Garbage in"- "Garbage Out" क्योंकि कि Input Data की प्रोसेसिंग कम्प्यूटर द्वारा की जाती है, जहाँ कोई Human Intelligence नहीं होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है।

यदि कोई पूरा खेसरा एक जल निकाय है और उसकी विशिष्टताओं में या भौतिक विवरणी में हम "मकानमय सहन" डाल दे तो यह तार्किक रूप से संभव नहीं है तो यह एक तर्किक अशुद्धि है। तार्किक अशुद्धि Spatial या Textual दोनों तरह के हो सकते हैं। एक अन्य उदाहरण लें यदि कहीं पक्की सड़क दिखाया गया है और उसी जगह पर मकान बना दिख रहा हो जो आपस में Intersect हो रहा है तो यह तार्किक दृष्टि से संभव नहीं है। उसी तरह कोई भी खेसरा एक साथ परती और धनहर नहीं हो सकता है। आबादी और नदी एक ही जगह पर नहीं हो सकता है अर्थात् ऐसे सभी मानचित्र से संबंधित शर्त जो या तो अनिवार्यतः लागू होते हों या अनिवार्यतः नहीं लागू होते हों। उन्हें Topology Rules कहा जाता है। इसी के आधार पर D.T.D.B की तार्किक शुद्धता को सुनिश्चित किया जाता है।

## 2. विशेष सर्वेक्षण में GIS का महत्त्व

कम्प्यूटर एवं सैटेलाइट के अविष्कार के बाद मानचित्र निर्माण की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। इसका सीधा असर मानचित्र निर्माण में लगने वाले समय, मानचित्र के आँकड़ों की प्रोसेसिंग की विविधता तथा प्रदर्शन (visualization) के तौर तरीकों पर पड़ा है। पाँच अवयवों के साथ ही जी0आई0एस0 का विकास संभव हो पाया है :-

1. हार्डवेयर
2. सॉफ्टवेयर
3. डाटा
4. उपयोगकर्ता
5. प्राविधि

कोई भी घटक जी0आई0एस0 से मिलने वाले परिणाम को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। चाहे वह मानचित्र हो, या निर्णयन के लिए प्रस्तुत कोई निष्कर्ष हो या फिर परिणाम के रूप में प्राप्त किए गए कोई आँकड़े हों।

**2.1 GIS - Geographic Information System** :- “भौगोलिक सूचना प्रणाली” जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे कोई भी आँकड़े जिन्हें मानचित्र पर दर्शाया जा सकता है इसे भौगोलिक के रूप में समझा जा सकता है अर्थात् पृथ्वी की सतह पर वह कहाँ है? सूचना का अर्थ उपलब्ध कई संबद्ध एवं असम्बद्ध आँकड़ों में से किस का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है ? अर्थात् विशाल आँकड़ों में से उपयोगी आँकड़ों को अलग कर लेना ही सूचना है। यह एक पूरी प्रणाली है जिसमें डाटा को अलग-अलग ढंग से प्रोसेस कर सकते हैं और मानचित्र पर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रोसेसिंग का सारा कार्य उद्देश्य आधारित होता है।


पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध भू-दृश्य या भौगोलिक यथार्थ को मानचित्र पर “प्वाइंट लाइन” या “पॉलिगोन” से दिखलाया जा सकता है। ऐसे आँकड़े या लैण्ड फीचर्स जिन्हें या तो प्वाइंट या पोलिगॉन के रूप में मानचित्र पर प्रस्तुत किया जा सकता है उसे जी0आई0एस लेयर के रूप में समझा जा सकता है। आँकड़ों की अंतर्सम्बद्धता और फंक्शनलिटी ही लेयर के रूप में वर्गीकरण

का आधार होती है। उदाहरण के लिए किसी राज्य के मानचित्र पर सिर्फ राष्ट्रीय – राजमार्ग और राज्य – राजमार्ग और जिला सड़क की प्रस्तुतीकरण आवश्यक हो सकता है। राजस्व ग्राम के स्तर पर कच्ची सड़क और किसी भी तरह के पक्की सड़क की भी जानकारी पर्याप्त और प्रासंगिक हो सकती है। कालांतर में छोटी-छोटी भौगोलिक इकाइयों को समेकित कर जब वृहत्तर भौगोलिक इकाइयों का मानचित्र बनाया जाएगा अर्थात् राजस्व ग्रामों को मिलाकर पंचायत, पंचायत को मिलाकर अंचल, अंचल को मिलाकर अनुमंडल, अनुमंडल को मिलाकर जिला तो लेयर के रूप में वही सूचनाएँ हमें मानचित्र पर उपलब्ध हो पाएंगी जिनका संकलन विशेष सर्वेक्षण के समय किया गया है।

जी0आई0एस की एक बड़ी ताकत है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त भौगोलिक आँकड़ों को हम एक खास भूसंदर्भित (जियोरेफरेन्सड) प्लेटफार्म (प्रोजेक्शन, डेटम) पर प्रोसेस कर सकते हैं। विभिन्न आँकड़ों के बीच एक पैटर्न या अंतर्सम्बद्धता होती है, जिसे प्रथम दृष्ट्या पहचानना मुश्किल होता है लेकिन विभिन्न लेयर्स में बड़े डाटा को प्रोसेस करने पर यह स्पष्ट होने लगता है। उदाहरण के लिए यदि बिहार के अनियोजित क्षेत्रों में बसावट का अध्ययन करना हो तो बसावट के विभिन्न आकारों में सड़क की अवस्थिति या सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं की अवस्थिति का प्रभाव आकार विरूपण के रूप में स्पष्ट दिखने लगता है। सामान्यतः सड़कों के किनारे बसावट का एक रैखिक संकेंद्रण दिखने लगता है। ब्लॉक या सामुदायिक सुविधाओं के इर्द-गिर्द बसावट का संकेंद्रण ज्यादा दिखने लगता है। बिगर पिक्चर लेने पर डाटा का एक पैटर्न या अंतर्संबंध उभर कर सामने आता है।

प्रवर्तमान विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा उद्देश्य जमीनी यथार्थ का यथा संभव पुनर्निर्माण करना है। यह कार्य जितनी शुद्धता (Accuracy) और सटीकता (Precision) से होगा हमारा उद्देश्य उतनी ही अच्छी तरह पूरा होगा। एक कम्प्यूटराईज्ड डिजिटल डाटाबेस निर्मित किया जाना है। इसे ही विशेष सर्वेक्षण में D.T.D.B (Digital Topography Database) के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसका उपयोग बाद में किया जाएगा।

GIS में उपयोग किए जानेवाले डाटा दो तरह के होते हैं।





Geo-Spatial या “भू-स्थानिक डाटा” अर्थात् जिनका सीधा संबंध अवस्थिति की शुद्धता से है अर्थात् जिन्हें मानचित्र पर एक खास अक्षांश-देशांतरीय मान या कोर्डिनेट वेल्थू के साथ ही दिखाया जा सकता है। इनके लिए Positional accuracy महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि इसका सीधा संबंध मानचित्र की शुद्धता से होता है। अगर Positional accuracy या स्थानिक शुद्धता नहीं है तो Data का Measurement Value सीधे दोषपूर्ण हो जाएगा।

इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर किसी मुस्तकिल को या तीमेड़ा, चौमेड़ा को गलत जगह पर दिखला दिया जाए तो न सिर्फ उससे सटे खेसरे का आकार विरूपित हो जाएगा बल्कि उसका क्षेत्रफल भी त्रुटिपूर्ण होगा।

Textual डाटा वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं। ये अवस्थिति की शुद्धता से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे कोई मकान किसी खास जगह पर हो सकता है, लेकिन इसमें रहने वाले व्यक्ति की “जाति” कोर्डिनेट से प्रभावित नहीं होती है। प्रस्तुत संदर्भ में “अधिकार-अभिलेख” (RoR) Textual प्रकृति का डाटा है।

**2.2 Attribute Data** :- Point Line, Polygon से संबंधित ऐसी सभी सूचनाएँ या विशेषताएँ जिसे सारणी (Tabular) के रूप में संधारित किया जा सकता है उसे Attribute Data कहते हैं। Attribute Data को किसी विशिष्ट लैंड फीचर्स के विरुद्ध सामान्यतः row wise (पंक्तिबद्ध रूप से) संधारित किया जाता है। किसी भी लैंड फीचर्स के Unique Identifier के विरुद्ध इसे संकलित और संधारित किया जाता है। जैसे राजस्व ग्राम के खेसरोँ का एक Layer हो सकता है। इसमें प्रत्येक खेसरा अलग-अलग “खेसरा संख्या” से पहचाना जा सकता है। खेसरोँ के Attribute Information को सारणी रूप में खेसरा संख्या के विरुद्ध ही संधारित किया जाता है। जैसे किसी खेसरा के “मालिक का नाम”, “जाति”, “जमीन की किस्म”, “धारण के प्रकार”, “नवैयत” या उस पर “पड़नेवाले आपत्तियों” सभी इस श्रेणी में रखी जा सकती हैं। सामान्यतः Spatial Data की सभी विशेषताएँ जिसे सारणीबद्ध किया जा सकता है Attribute Data के रूप में जानी जाती हैं।

GIS के अंतर्गत डाटा के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष कितने प्रभावी हैं ? यह इस बात पर निर्भर करता है कि विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया गया Layer और Attribute Data कितना प्रासंगिक

है ? कितना शुद्ध है ? "Form- 6" या खेसरा पंजी मूलतः Attribute Data का Collection है। GIS की दृष्टि से देखे तो समस्त विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया Data Creation और Data Validation की प्रक्रिया है। अंतिम प्रकाशन सत्यापित डाटा के निर्मित हो जाने की गारंटी है। सर्वेक्षण के विभिन्न चरण वास्तव में इन्हीं Spatial और Textual डाटा के सत्यापन के क्रमिक पड़ाव है।

### **2.3 GIS Layer निर्माण से संबंधित प्रविष्टियाँ एवं क्षेत्र संबंधी कार्य :-** सामान्यतः

किसी भी देश में भू-स्वावित्त्व वाले मानचित्रों को निर्मित करने वाली जो भी संस्थाएँ होती हैं उनके पास भूमि से संबंधित सूचनाओं का विशाल भंडार होता है। इन सूचनाओं की आवश्यकता दो कारणों से होती है एक तो इसका उपयोग भूस्वामित्व से संबंधित तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए जरूरी होता है दूसरा Large Scale Mapping पर ही Ownership Map का निर्माण किया जाता है जिसे real time या सतत अद्यतन रखने के लिए इन सूचनाओं का संग्रहण आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा मानचित्र वास्तविक भूदृश्य की प्रतिकृति होता है। इसलिए भूदृश्य को अगर संपूर्णता में प्रदर्शित किया जाना है तो भू सतह के सभी land features को मानचित्र में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। बाद में यही features thematic maps के निर्माण का आधार बनता है thematic map एक तरफ जहाँ विभिन्न सरकारी या निजी संस्थाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं का समाधान उपलब्ध कराती हैं वहीं यह आय का साधन भी है।

राजस्व ग्राम के अर्थात् भू-सतह पर जो भी लैंड फीचर्स उपलब्ध हैं, उनका संकलन किया जाना है। यही GIS Layer की भूमिका निभाएंगे। इसे निर्मित करने के लिए दो चीजों पर निर्भरता रहती है। पहला तो ऑर्थोफोटोग्राफ जिस पर विभिन्न फीचर्स को देखकर सहज रूप से पहचाना जा सकता है। दूसरा जिस समय अमीन क्षेत्र में रहते हैं, उस समय खेसरावार विभिन्न फीचर लेयर्स को खेसरा-पंजी के "कॉलम-10" में प्रविष्टि के उद्देश्य संकलित किया जाएगा।

इस कार्य हेतु एक संदर्भ सूची निदेशालय द्वारा निर्मित है, जो निम्नवत् है:-

## खेसरे की भौतिक विवरणी (प्रपत्र-6, कॉलम-10)

Broad Category	Sl. No.	Land Use
स्थल-स्वरूप	1	धनहर
	2	भीठ
	3	झाड़ी एवं वन
	4	पहाड़ी
	5	टीला/गुंबद/पिंड
	6	चौर
	7	खरहर/खरहुल/चारागाह
	8	टोंगरी/पथरीली जमीन
	9	खंता (प्राकृतिक)
	10	खंता (कृत्रिम)
आवासीय एवं वाणिज्यिक	11	हाट/बाजार (अस्थायी)
	12	ईट भट्टा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	13	अस्पताल
	14	पशु चिकित्सालय
	15	स्वास्थ्य उपकेन्द्र
	16	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	17	सहायक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
	18	डायग्नोस्टिक सेंटर
	19	रेफरल अस्पताल
	20	सदर अस्पताल
	21	अनुमंडल अस्पताल
	सामुदायिक फीचर	22
23		कब्रिस्तान
24		श्मशान
25		शवदाह गृह
26		मृत जानवर का श्मशान (चिरारी)
27		सेंट्रल जेल
28		सब जेल
29		सामुदायिक भवन
संचार तंत्र	30	पंचायत सरकार भवन
	31	डाकघर
	32	टेलिफोन कार्यालय
	33	संचार टॉवर
विद्युत संबंधी	34	रेडियो/टी0वी0 स्टेशन
	35	थर्मल पॉवर प्लांट
	36	पॉवर हाउस

	37	विद्युत उप केन्द्र
	38	HTL पायलोन
जल निकाय	39	नदी
	40	सोता
	41	चौर
	42	मुख्य नहर
	43	वितरक नहर
	44	नाला
	45	झील
	46	तालाब/पोखर
	47	आहर
	48	पंप हाउस
	49	झरना
	50	जल प्रपात
	51	राजकीय नलकूप
	52	नलकूप
	53	मलोपचार केन्द्र
सड़क	54	राष्ट्रीय राजमार्ग
	55	राज्य राजमार्ग
	56	जिला सड़क
	57	PMGSY स्थानीय पथ
	58	कंक्रीट सड़क
	59	अन्य सड़क
	60	कच्ची सड़क
	61	गली
	62	बस स्टैंड/स्टेशन
	63	पुल/फलाई ओवर
	64	पुल/पुलिया
	65	यात्री पड़ाव
	66	टोल प्लाजा
रेलवे	67	रेलवे जमीन
	68	रेलवे लाईन
	69	रेलवे ओवर ब्रिज
	70	रेलवे स्टेशन
वायुयान	71	हवाई अड्डा
सिंचाई संबंधी	72	डेम
	73	नहर स्लुईस गेट
	74	पुल/पुलिया/कवर्ट
	75	कौजवे
	76	सिंचाई नाला
	77	भिंडा



	78	भिंडा सह सड़क
शैक्षणिक संस्थान	79	आंगनबाड़ी
	80	प्राथमिक विद्यालय (सरकारी)
	81	मध्य विद्यालय (सरकारी)
	82	उच्च विद्यालय (सरकारी)
	83	नवोदय विद्यालय
	84	केन्द्रीय विद्यालय
	85	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सरकारी)
	86	महाविद्यालय
	87	पॉलीटेकनिक कॉलेज (सरकारी)
	88	आई0टी0आई0 (सरकारी)
	89	अभियंत्रण महाविद्यालय (सरकारी)
	90	चिकित्सा महाविद्यालय (सरकारी)
	91	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सरकारी)
	92	प्रशिक्षण केन्द्र ए0एन0एम0 (सरकारी)
	93	प्रशिक्षण केन्द्र जी0एन0एम0 (सरकारी)
	94	प्रशिक्षण केन्द्र पारामेडिकल (सरकारी)
	95	<b>BRC</b> (ब्लॉक रिसोर्स सेंटर)
	96	विश्वविद्यालय (सरकारी)
	97	विश्वविद्यालय (निजी)
	98	संस्कृत विद्यालय (सरकारी)
	99	मदरसा
	100	पुस्तकालय
संस्कृति एवं लोकोपयोगी	101	स्टेडियम
	102	खेल मैदान
	103	थियेटर
	104	दुग्ध संग्रहण केन्द्र
	105	औद्योगिक प्रक्षेत्र (सरकारी)
	106	उद्योग / कारखाना
	107	पार्क
	108	पेट्रोल पंप
	109	विश्राम गृह – (सरकारी)
	110	खदान
	111	बाजार
	112	सार्वजनिक शौचालय
	113	हल्का कचहरी
	114	पुलिस स्टेशन
	115	बैंक
	116	सरकारी कार्यालय
	117	पुलिस बैरेक
	118	गोदाम










	119	गैस गोदाम
	120	शीत भंडारण गृह (कोल्ड स्टोरेज)
<b>पूजा एवं धार्मिक</b>	121	मंदिर सरकारी (शिव, हनुमान, दुर्गा, काली, सूर्य, ब्रह्म, देवी, शलहेस, राम जानकी, ठाकुरबाड़ी, )
	122	मंदिर निजी (शिव, हनुमान, दुर्गा, काली, सूर्य, ब्रह्म, देवी, शलहेस, राम जानकी, ठाकुरबाड़ी,)
	123	ईदगाह
	124	करबला
	125	हज भवन
	126	दरगाह
	127	खानकाह
	128	ईमामबाड़ा
	129	गुरुद्वारा
	130	मस्जिद
	131	गिरिजाघर
	132	मठ
	133	मकबरा
	134	मजार
	135	पूजा स्थल (सरना जनजाति)
<b>पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक</b>	136	उत्खनन
	137	खंडहर
	138	स्तूप
	139	गुफा
	140	संग्रहालय
	141	किला
	142	ऐतिहासिक स्थल
	143	स्मारक
<b>पर्यावरणीय एवं बागवानी (Horticulture) संबंधी</b>	144	चिड़ियाखाना
	145	पक्षी विहार
	146	वन्यजीव अभयारण्य
	147	राष्ट्रीय पार्क
	148	पौधशाला
	149	उद्यान (सरकारी)
	150	बड़े वृक्ष के बगान
	151	केला बगान
	152	चाय बगान
	153	पान बगान
	154	बांसबारी (सरकारी)
	155	तरबन्ना (सरकारी)
	156	तरबन्ना (निजी)

	157	खजुरबन्ना (सरकारी)
	158	खजुरबन्ना
	159	परती भूमि घास
	160	मिश्रित जंगल
	161	फूस/कास (घास)
	162	झाड़ियाँ

यही सूची भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के Drop Down में भी उपलब्ध है, जिसकी प्रविष्टि खेसरों के विरुद्ध Select करके की जा सकती है। इस सूची में उपलब्ध सभी फीचर्स जो किसी भी खेसरे में अवस्थित हैं, उसका संकलन किया जाना है। फोटोग्राफ या इमेज पर बहुत सारे फीचर्स को देखकर नहीं पहचाना जा सकता है। जैसे कोई मकान सामुदायिक भवन है, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक विद्यालय इसका पता ऑर्थोफोटोग्राफ से नहीं चल सकता है। क्षेत्र में जाकर देखने पर इसका सत्यापन बहुत आसान हो जाता है, जिसे संबंधित खेसरे के विरुद्ध प्रविष्टि किया जा सकता है। एक बार जब खेसरा पंजी में प्रविष्टि हो जाता है तो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा LPM निर्माण के पूर्व सभी फीचर्स को मानचित्र के सभी खेसरों में प्रदर्शित किया जाता है।















मानचित्र पर सभी फीचर लेयर को प्रदर्शित करने के लिए अलग-अलग संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों के प्रयोग से मानचित्र पर इन्हें पहचानना काफी आसान होता है। इन संकेत चिन्हों को Legends कहा जाता है। संकेत चिन्हों की एक सूची निदेशालय पर निर्मित है। जो निम्नवत है:-

# संकेत चिह्न

















	सीमा रेखा – राज्य, जिला, अंचल, ग्राम, तोखा
	अलामत – दोनों गाँवों में नाला का आधा-आधा हिस्सा (निस्फा-निस्फ), दोनों गाँवों में सड़क का आधा-आधा हिस्सा (निस्फा-निस्फ), एक गाँव में नाला का पूरा हिस्सा, एक गाँव में सड़क का पूरा हिस्सा
	दोनों गाँवों में नदी या सड़क का आधा-आधा हिस्सा (धार-धुरा), नाला, स्थायी मेड़, अस्थायी मेड़, खारीज मेड़
	मकान अलामत खेसरा, पक्का बाँध के साथ तालाब खेसरा, बन्धान (बाँध) खेसरा लाईन, बड़ा बाँध खेसरा लाईन, चादर सीमा या मारजन लाईन
	पक्की सड़क, कच्ची सड़क, उठाई हुई सड़क, डूबी हुई सड़क, पगडण्डी, बैलगाड़ी/ठेला मार्ग
	रेल लाईन सिंगल, रेल लाईन डबल
	पाईप लाईन, बन्धान (बाँध) खेसरा लाईन पर नहीं
	बोट (नौव), झील, माईल पत्थर, तीर चिह्न (पानी बहाव दिशा), लेवल क्रॉसिंग, पक्का पुल
	तीन सीमानी पत्थर-१, तीन सीमानी पत्थर-२ चार सीमानी पत्थर, बम्बा-१, बम्बा-२, बम्बा-३, बम्बा-४ तिनमेढ़ा बम्बा-१, तिनमेढ़ा बम्बा-२, चौमेढ़ा बम्बा-१, चौमेढ़ा बम्बा-२



		तिनमेढा मुस्तकील - १, तिनमेढा मुस्तकील - २		
			चौमेढा मुस्तकील - १, चौमेढा मुस्तकील - २, मुस्तकील - दूसरे गाँव से प्लॉट किया	
			बेंच मार्क पत्थर, पत्थर पर बम्बा, वन सीमा पत्थर एवं वन सीमा	
				मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा
				शमशान घाट, कब्रिस्तान (ईसाइयों का), कब्रिस्तान (मुसलमानों का), मकबरा
		रेलवे स्टेशन, बस अड्डा		
			विश्राम गृह -वन, सिंचाई, अन्य	
			विद्युत खम्भा, टेलिग्राफ, रेलवे सिगनल	
			कुआँ -पक्का, कच्चा, अप्रयुक्त	
				आम बगान, बगान, पान बगान, चाय बगान, पक्का मकान
				अकृषित परती भूमि, पहाड़ी/टोन्नारी, पथरीला जमीन, बड़ा गुम्बदनुमा चट्टान
				पुरानी परती भूमि, नई परती भूमि, परती भूमि घास, खदान,
				अन्य
				साल जंगल, पारस जंगल, परती जंगल, मिश्रित जंगल
				नारियल पेड़, खजूर पेड़, ताड़ पेड़, सुपारी पेड़, पीपल पेड़, आम पेड़
				साल पेड़, बरगद पेड़, इमली पेड़, बाँस, झाड़
				अन्य पेड़



Sl no.	Feature Names	Symbol		Sol Available
1	Primary Control Point(PCP)	A		
2	Secondary Control Point(SCP)			
3	Tertiary Control Point(TCP)			
4	Auxillary Control Point(ACP)			
5	BRICK LIME KILN	A		
6	Primary Health Centre			
7	Referral Hospital			
8	Sadar Hospital			
9	Sub Divisional Hospital			
10	Diagnostic Centre			
11	Panchayat Government Building			
12	Passenger Stop			
13	Toll	A		
14	HTL Pylon	A		

15	Wireless Station Mast	A	
16	Thermal Power Plant		
17	Power House	A	
18	Power Substation	A	
19	Canal	A	
20	State Tube Well		
21	Tube Well	A	
22	Petrol Pump	A	
23	Dairy	A	
24	Community Centre		
25	Police station	A	
26	Bank	A	
27	Post Office	A	
28	Govt. Office	A	
29	Aerodrome	A	
30	Bus Terminal	A	

31	Primary School			
32	Middle School			
33	Inter School			
34	Degree School			
35	Polytechnic			
36	ITI			
37	Engineering College			
38	BRC(Block Resource Centre)			
39	Library	A		
40	Madarsa			
41	University			
42	Anganwari			
43	Godown			
44	Gas Godown			
45	Statue			
46	Public Toilet	A		

47	Cremation House			
48	Jail			

मानचित्र निर्माण वस्तुतः ज्यमितिक रूप अनुपातिक प्रदर्शन की तकनीक है। Layers या Legends को मानचित्र पर कैसे दिखाया जाना है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि मानचित्र का किस्तवार क्या है ? अर्थात् मानचित्र का स्केल क्या हैं किसी छोटे स्केल वाले मानचित्र यथा 1:100,00,000 या स्टलस मानचित्र पर कोई शहर एक बिन्दु से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है अर्थात् उसको प्वाइंट Symbol से निरूपित किया जाएगा। लेकिन इसी शहर का मैप यदि 1:4000 या 1:1000 पर निर्मित किया जाता है तो प्रत्येक मकान को भी बिन्दु से निरूपित करना गलत होगा बल्कि उसे पॉलीगोन से निरूपित करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि किसी राजस्व ग्राम के आबादी वाले हिस्से में कोई आँगनबाड़ी है तो पॉलीगोन निर्मित कर उसके अंदर आँगनबाड़ी का संकेत चिन्हों उपयोग में लाया जाना चाहिए।

**2.3 आँकड़ों की संगति (Sympathy of Data) :-** “प्रपत्र-6 की इंट्री” या खेसरा पंजी के निर्माण के दौरान बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक खेसरे के विरुद्ध जो भी इंट्री की जा रही है या जो भी Attribute डाटा संकलित किया जा रहा है वो आपस में अंतर्विरोधी ना हो। वे अंतर्संबंधित और संगति में होने चाहिए।

भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में Form-6 में खेसरो से संबंधित Attribute जमा किए जा रहे हैं। चाहे वह भूमि का वर्गीकरण हो या खेसरो की यूनिक आई0डी0 हो। खेसरो की यूनिक आई0डी0 भी खेसरो की अवस्थिति, खेसरो के संधारण के प्रकार तथा उनके भू-उपयोग। भू-आच्छादन की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर में चयनित किए जाने वाली प्रविष्टियों में शुद्धता का होना आवश्यक है। निदेशालय स्तर पर इसकी भी सूची निर्मित की गई है, जो निम्नवत है।

## 2.5 14 Digit Parcel Unique ID

1st to 6th digit - LGD (Local Governance Directory) Code		
7th to 11th digit- Khesra No. of any particular land parcel in the related village		
12th digit- Holding type Code		
13th to 14th digit- Land Use / LandCover Code		
<b>Three digit for Holding type and Land Use/Land Cover Code</b>		
<b>12th digit</b>		
1	अनाबाद सर्वेसाधारण (आम)	
2	अनाबाद बिहार सरकार (खास)	
3	कैसरे हिंद (भारत सरकार)	
4	कैसरे हिंद (राज्य सरकार)	
5	खासमहल	
6	बंदोबस्त की गई अहस्तांतरणीय भूमि	
7	रैयती (सरकारी विभागों की भूमि)	
8	रैयती (रैयती)	
<b>13th &amp; 14th digit</b>		
01	फसला सिंचित	<b>कृषि</b>
02	फसला असिंचित	
03	बागवानी	
04	नकदी	
05	बांसवाड़ी	
06		
07		
08		
09		



10	बलुआही	परती
11	उसर/बंजर	
12	पथरीला	
13	पहाडी	
14	दलदल	
15	खरहर/खरहुल/चारागाह	
16	गड्ढा	
17		
18		
19		आवासीय
20	कच्चा मकान सह मिश्रित उपयोग	
21	पक्का मकान सह मिश्रित उपयोग	
22	पक्का मकानमय सहन	
23	कच्चा मकानमय सहन	
24	पक्का मकान	
25	कच्चा मकान	
26	झोपडी/करकट	
27		
28		व्यावसायिक (वाणिज्यिक/ औद्योगिक)
29		
30	इंट भट्टा	
31	गोदाम	
32	खरीदारी केन्द्र	
33	ग्रामीण बाजार/हाट	
34	होटल	
35	पेट्रोल पंप	
36	कोल्ड स्टोरेज	
37	ऑफिस/कार्यालय	सामुदायिक उपयोग
38	सिनेमा/थियेटर	
39	उद्योग/कारखाना	
40	श्मशान	
41	कब्रिस्तान	
42	किसी भी तरह का पूजा स्थल	
43	शिक्षण संबंधी संस्थान	
44	खेल मैदान	
45	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी	
46	सामुदायिक भवन	
47	रिक्रियेशन सेंटर/पार्क	
48	खदान/खान	
49	पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्व संबंधी	

50	नदी	जल निकाय
51	मुख्य नहर	
52	वितरक नहर	
53	झील	
54	चौर	
55	मोइन	
56	तालाब-पोखर	
57	आहर-पर्इन	
58	डैम / रिजर्वायर	
59		
60	राष्ट्रीय राजमार्ग	परिवहन (सड़क)
61	राज्य राजमार्ग	
62	जिला सड़क	
63	ग्रामीण सड़क	
64	नगरीय सड़क	
65	प्रोजेक्ट सड़क	
66	कच्ची सड़क	
67	बस स्टैण्ड	
68		
69		
70	रेलवे लाईन	परिवहन (रेल / वायुयान)
71	रेलवे स्टेशन	
72	रेलवे जमीन	
73	हवाई अड्डा	
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		भविष्य उपयोग हेतु रिक्त
81		
82		
83		
84		
85		
86		

87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	

विशेष सर्वेक्षण अमीनों द्वारा प्रत्येक खेसरे के विरुद्ध की गई समस्त इंट्री की जाँच उसके उपर स्तर से किया जाना आवश्यक है।

प्रत्येक खेसरे के विरुद्ध इंट्री की गई विभिन्न Attribute को एक-दूसरे के विरुद्ध संगति के लिए देखा जा सकता है। यदि जोड़ा बनाकर इनकी संगति या अंतर्विरोध का पर्यवेक्षण कर लिया जाय तो अधिकांश असंगति का निराकरण LPM प्रकाशन के पूर्व किया जा सकता है।

- i. भूमि का वर्गीकरण  $V_s$  पार्सल यूनिट का भू-उपयोग/भू-आच्छादन
- ii. धारण का प्रकार  $V_s$  नवैयत
- iii. खेसरे की भौतिक विवरणी  $V_s$  भूमि का वर्गीकरण
- iv. खेसरे की भौतिक विवरणी  $V_s$  धारण के प्रकार

इस चेकिंग का मूल उद्देश्य Attribute डाटा के आपसी संबंध का सही संधारण है। उदाहरण के तौर पर किसी यदि खेसरा में भौतिक विवरणी में "प्राथमिक विद्यालय" दर्ज है और उसके धारण प्रकार में "बंदोबस्त की गई हस्तांतरणीय" भूमि है तो यह एक बेमेल आँकड़ा है।

इंट्री की शुद्धता और सटीकता ही हमारे D.T.D.B को अर्थपूर्ण और प्रासंगिक बनायेगा। "भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर" में राजस्व ग्रामवार प्रविष्टियों हेतु एक "चेकलिस्ट" का संदर्भ प्रस्तुत किया गया है, जो अनंतिम है। इंद्राज के समय इसका संदर्भ किया जा सकता है।

### 3. भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में Form- 6 की इंट्री का मैनुअल

#### प्रपत्र- 6 : खेसरा पंजी का प्रपत्र

Directorate of Land Records & Survey  
Government of Bihar

Land Survey Management System

| Home | Entry | Update | Delete | Report | Miscellaneous

TEST

Prapatr-1  
Prapatr-2  
Prapatr-3  
Prapatr-3(2)  
Prapatr-4  
Prapatr-5  
Prapatr-6  
Prapatra 5 Update

Updates:

Training is to be held on 15.11.2019

Please send Weekly Report.

Details	Total
Total Holder Entered	
Total Mauza	1115

Get Plot Status

1. “Bhu-Sarvekshan Software” में Login करें।
2. “Entry” ऑप्शन में Prapatr-6 पर क्लिक करें।

Directorate of Land Records & Survey  
Government of Bihar

Land Survey Management System

| Home | Entry | Update | Delete | Report | Miscellaneous

प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

Select Mauza

--Select--

Go

3. Select Mauza-आवंटित मौजा को चयनित सूची से चयन करें।

प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )

Select Mauza

--Select--  
--Select--  
Az Rakbe Chapahi -228  
Bithauni -227  
Chapahi -229  
Gangdwar -231

Go

Website designed and developed by National Informatics Centre, Bihar.

#### 4. “Go” बटन पर क्लिक करें।

प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )

Select Mauza

Bithauni -227

Go

मौजा में कुल नए खेसरो की संख्या *	<input type="text"/>	
	एकड़ *	डेसीमल
मौजा का कुल रकबा	<input type="text"/>	<input type="text"/>
इनकी देखरेख में	<input type="text"/>	
	<input type="button" value="Confirm for Save"/>	

5. “Go” बटन पर क्लिक करने के बाद प्रथम बार ही एक फॉर्म खुलेगा जिसमें “मौजा में कुल नए खेसरो की संख्या, मौजा का कुल रकबा, एवं इनकी देख रेख में” की सूचना को प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया सभी मौजों में सिर्फ पहली बार करना होगा।



Select Mauza	Bithauni -227	Go
मौजा में कुल नए खेसरो की संख्या *	26	
एकड़ *		उसीमल
मौजा का कुल रकबा	23	60
इनकी देखरेख में		
		Confirm for Save

6. मौजा में कुल नए खेसरो की संख्या - आपके द्वारा जिस आवंटित मौजा का चयन किया गया उस मौजे में किश्तवार पश्चात् एजेंसी से प्राप्त मानचित्र से कुल नए खेसरो की संख्या लिखें।
7. मौजा का कुल रकबा - आपके द्वारा जो मौजा चयन किया गया है, उस मौजे का हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से प्राप्त कुल रकबा लिखें।
8. इनकी देखरेख में - अपने शिविर प्रभारी का नाम प्रविष्ट करें।
9. "Confirm for Save" बटन पर क्लिक करें।
10. प्रपत्र-6 में कुल 24 कॉलम दिए हुए हैं , जिसे ऑनलाइन एंट्री में आसानी के लिए मुख्यतः 4 भागों में बाँट दिया गया है | प्रपत्र-6 में कुछ सूची ऐसे हैं जिसमें पूर्व से ही कुछ निर्धारित विकल्प हैं, और हमें उसी सूची से विकल्प को चयनित करना है। विकल्पों के संदर्भ हेतु निदेशालय स्तर पर निर्मित सूची निम्नवत है, जिसे ड्रॉप डाउन में भी दिखाया गया है:—

### **3.1 धारण के प्रकार (Holding Type)**

**(प्रपत्र-6, कॉलम-2 में)**

1. अनाबाद सर्वसाधारण (गैरमजरूआ आम)
2. अनाबाद बिहार सरकार (गैरमजरूआ खास)
3. कैसरे हिन्द (भारत सरकार)
4. कैसरे हिन्द (बिहार सरकार)
5. खास महाल
6. बंदोबस्त की गई अहस्तांतरणीय भूमि
7. रैयती (सरकारी विभागों की भूमि)
8. रैयती (रैयती)


### **3.2 नवैयत (स्वामित्व के आधार)**

**(प्रपत्र-6 का अभ्युक्ति कालम में)**

1. रैयती / खतियानी / मौरूसी
2. घोषित बटाईदार
3. बदलैन (विनिमय)
4. भूदान
5. डिक्री
6. भूमि अर्जन
7. वसीका / केवाला / वैलाकलामी / विक्रय पत्र / विक्रयनामा
8. बख्शीश / निबंधित दान पत्र
9. वसीयतनामा (प्रावेट समर्थित)
10. बंदोबस्ती
11. बासगीत पर्चा

### 3.3 भूमि का प्रकार / वर्गीकरण

(प्रपत्र-6, Colum-11)

1. कृषि —  i. धनहर  
ii. भीठ
2. वासगीत / आवासीय
  3. जंगल
  4. झाड़ी
  5. घास मैदान / खरहर
  6. जलजमाव क्षेत्र / चौर
  7. गड्ढा / खंता— प्राकृतिक / कृत्रिम
  8. पर्ईन / आहर
  9. सोता
  10. चिरान
  11. झील / पोखर / तालाब
  12. भिण्ड / भिण्डा / पिंड
  13. परती / बलुआही / दियारा / उसर / बंजर / पथरीला / पहाड़ी
  14. व्यावसायिक / वाणिज्यिक
  15. औद्योगिक

### 3.4 बिहार की जातियाँ (प्रपत्र-6, कॉलम-2)

1	शेख
2	एराकी (बनिया)
3	धीमर
4	धामिन
5	धोबी (मुस्लिम)
6	धानुक
7	धुनिया (मुस्लिम)
8	धनवार
9	यति
10	घासी (यादव)
11	घटवार
12	खंगर
13	खटिक
14	खत्री
15	खतौरी
16	खेलटा
17	खटवा
18	ढेकारू
19	ठटेरा (बनिया)
20	इब्राहिमी (मुस्लिम)
21	ठकुराई (मुस्लिम)
22	इदरीसी (मुस्लिम)
23	ईटपज (मुस्लिम)
24	ईटाफरोश (मुस्लिम)
25	ईटफरोश (मुस्लिम)
26	बढ़ई
27	बंगीवैश्य (बंगाली बनिया)
28	बक्खो (मुस्लिम)
29	बनिया
30	बरई,
31	बाथम बैश्य
32	बागदी
33	बेलदार
34	बर्नवाल
35	ब्रह्मभट (हिन्दू)
36	ब्राह्मण
37	कमार

38	कमलापुरी वैश्य (बनिया)
39	कर्मकार
40	कथबनिया
41	कपरिया
42	कायस्थ
43	कादर
44	कोरकू
45	कोस्ता
46	कोछ
47	कोरा
48	कानू
49	कागजी
50	कसाब (कसाई) (मुस्लिम)
51	कसौधन
52	कसेरा (बनिया)
53	कुंजरा (मुस्लिम)
54	कुर्मी
55	कुर्मी (महतो)
56	कुशवाहा (कोईरी)
57	कुल्हैया
58	कैथल वैश्य
59	केशरवानी (बनिया)
60	केवर्त
61	केवट (कउट)
62	कलाल (बनिया)
63	कलवार (बनिया)
64	कलन्दर
65	मझवार
66	मलिक (मुस्लिम)
67	मल्लिक
68	मायरा (बनिया)
69	मांगर
70	माहुरीवैश्य (बंगाली बनिया)
71	मारकन्डे
72	मोमिन (मुस्लिम)
73	मोरियारी
74	मौलिक
75	मोरशिकार (मुस्लिम)
76	मोदक (बनिया)
77	मोदी (बनिया)
78	मोगल

79	माली (मालाकार)
80	मडरिया (मुस्लिम)
81	मदार
82	मदार (मुस्लिम)
83	मदारी (मुस्लिम)
84	मुकेरी (मुस्लिम)
85	मेहर (यादव)
86	मेहतर (मुस्लिम)
87	मलार (मालहोर)
88	मल्लाह
89	बिन्द
90	मिरियासीन (मुस्लिम)
91	पिनगनिया
92	शिवहरी
93	सिन्दुरिया बनिया
94	दिवान (मुस्लिम)
95	वियाहुत कलवार
96	तियर
97	टिकुलहार
98	हलुवाई
99	भंगी (मुस्लिम)
100	भठियारा (मुस्लिम)
101	भार
102	भास्कर
103	भाट (मुस्लिम)
104	भाट (हिन्दु)
105	भुईयार
106	भट (हिन्दू)
107	भूमिहार
108	पठान
109	पमरिया (मुस्लिम)
110	पहिरा
111	परथा
112	पाण्डी
113	पाल (भेड़िहार)
114	पाल (गड़ेरी)
115	पैरघा (परिहार)
116	पनसारी (बनिया)
117	पटवा
118	प्रधान
119	प्रजापति (कुम्हार)



120	रंगरेज (मुस्लिम)
121	रंगवा
122	राईन (मुस्लिम)
123	रौतिया
124	रोनियार (बनिया)
125	राजधोबी
126	राजभर
127	राजभट (हिन्दू)
128	राजपूत
129	राजवंशी (देसिया / देशिया या पोलिया)
130	शेरशाहबादी
131	संतराश
132	साई (मुस्लिम)
133	सामदी वैश्य
134	सोयर
135	सोनार
136	सौटा (सोता)
137	सदगोप (यादव)
138	सुकियार
139	सुरजापुरी (मुस्लिम)
140	सैयद
141	सेखड़ा
142	सैथवार
143	सैकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)
144	सन्यासी
145	सूढी (बनिया)
146	सूत्रधार
147	डफाली (मुस्लिम)
148	दांगी
149	दोनवार
150	देवहार
151	दर्जी (मुस्लिम)
152	वारी
153	वैश्य पोद्दार
154	वनपर
155	चीक (मुस्लिम)
156	चपोता
157	चांय
158	चुड़ीहार (मुस्लिम)
159	चनउ
160	चन्द्रवंशी (कमकर)

161	चन्द्रवंशी (कहार)
162	क्षेत्रीय
163	फकीर (मुस्लिम)
164	तमरिया
165	तमोली (चौरसिया)
166	तुरहा
167	तेली
168	जति
169	जोगी (जुगी)
170	जागा
171	जदुपतिया
172	जुलाहा (अंसारी)
173	जट (हिन्दू)
174	नाई
175	नामशुद्र
176	नोनिया
177	नागर
178	नालबंद (मुस्लिम)
179	नट (मुस्लिम)
180	अघोरी
181	अबदल
182	अमात
183	अथीत
184	अतिथ
185	अहीर (यादव)
186	अवध बनिया
187	अवधबनिया (बंगाली बनिया)
188	अग्रहरीवैश्य
189	गंधबनिक
190	गंधर्व
191	गंगई (गणेश)
192	गंगोता
193	गोरा (यादव)
194	गोसाई
195	गोस्वामी
196	गोड़ी (छावी)
197	गोलदार
198	गद्दी
199	गदहेड़ी (मुस्लिम)
200	ग्वाला (यादव)
201	गुलगुलिया

202	लक्ष्मी रारायण गोला (यादव)
203	लहेड़ी
204	लोहार
205	लालबेगीया (मुस्लिम)
206	तांती (ततवा)
207	नइया सुरहिया
208	सुरहिया
209	जुलाहा
210	अंसारी
211	चुड़ीहार
212	अदरखी
213	छीपी
214	तिली
215	परिहार
216	सामरी वैश्य
217	जट (मुस्लिम)
218	बांतर
219	बौरी
220	भोगता
221	भुइया
222	चमार
223	मोची
224	चौपाल
225	डावगर
226	धोबी
227	डॉम, धनगद
228	दुसाध धारी
229	घासी
230	हलालखोर
231	हरि
232	कंजर
233	कुररियार
234	मुशहर
235	नट
236	पान
237	पासी
238	रजवार
239	तुरी
240	संथाल
241	खारिया
242	असुर

243	बैयगा
244	बंजारा
245	बथुडी
246	बेडिया
247	भूमिज
248	बिड़िया
249	बिरहोर
250	बिरजिया
251	चेरो
252	चीक बराईक
253	गोंड
254	गोडाइत
255	हो
256	करमली
257	खड़िया
258	खरवार
259	खोंड
260	किसान
261	कोरा
262	कोरवा
263	लोहरा
264	महली
265	माल पहड़िया
266	मुंडा
267	ओरोंव
268	परहिया
269	सौरिया पहड़िया
270	सावर
271	नुनिया
272	धरही
273	मेहतर
274	भंगी
275	स्वामी
276	स्वासी
277	लोहारा
278	लालबेगी



प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )

यह एंट्री AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : रोखपुरा 26	अंचल : घाटकुसुमभा 1	मीजा : Gurera	हलका : 1	धाना नं० : 91
क्र.संख्या (1 से 8)	अन्य हिस्सेदार हैं?	चौहद्दी (क्र.संख्या-9 -11)	क्र.संख्या- 12 से आगे	
नया खेसरा सं० *	Ref Khesra No	धारण का प्रकार *	~धारण का प्रकार चुने~	
रैयत का नाम *	पिता का नाम			
आधार नं०	रैयत का नाम अंग्रेज़ी में आधार के अनुसार		नया सं० पुनना खाता सं०	पुराना खेसरा सं०
पता *	Address Line 1			जोड़े
जाति	~जाति चुने~	Gender	--Select--	
एकड़	डेसीमल	मोबाइल नं०		
रकबा *				
Save	Next ->			
New Entry	Tab 1	Tab 2	Tab 3	Tab 4

11. नया खेसरा संख्या - प्रपत्र-6 के कॉलम सं० 4 से नया खेसरा संख्या लिखें।

(Ref Khesra No. -यदि आपके खाता में 1 से ज्यादा खेसरा है और आपको उस खेसरे की जानकारी को दुसरे खेसरे की जानकारी में प्रविष्टि करनी है, तो Ref Khesra No. में आपके द्वारा उस खाता के पहले खेसरा नं० की एंट्री आवश्यक है, इससे आपके सामने एंट्री किए हुए खेसरा नं० की जानकारी स्वतः प्रविष्टि हो जाएगी। कभी भी Ref Khesra No. में पहले खेसरा नं० की ही एंट्री करें।)

12. धारण का प्रकार(Holding Type) - प्रपत्र-6 से धारण का प्रकार को दी हुई सूची सेचयनित करें। इसकी डाटा एंट्री कॉलम सं 0 2 के आधार पर की जाएगी।

- इस कॉलम में अगर रैयत का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-रैयती (रैयती) चुनें।
- इस कॉलम में अगर गैरमजरूआ खास/मालिक का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-अनाबाद बिहार सरकार (गैरमजरूआ खास/मालिक) चुनें।
- इस कॉलम में अगर गैरमजरूआ आम का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-अनाबाद सर्वसाधारण (गैरमजरूआ आम) चुनें।
- इस कॉलम में अगर खास महाल का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-खास महाल चुनें।
- इस कॉलम में अगर बंदोबस्त की गई अहस्तांतरणीय भूमि का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-बंदोबस्त की गई अहस्तांतरणीय भूमि चुनें।
- इस कॉलम में अगर गैरमजरूआ खास/मालिक का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-अनाबाद बिहार सरकार (गैरमजरूआ खास/मालिक) चुनें।
- इस कॉलम में अगर कैसरे हिन्द का नाम दिया है तो धारण का प्रकार-कैसरे हिन्द (भारत सरकार) या कैसरे हिन्द (बिहार सरकार)) चुनें।

13. रैयत का नाम - प्रपत्र- 6 के स्तम्भ - 2 से रैयत का नाम प्रविष्ट करें।



14. पिता/पति का नाम - पिता/पति को Dropdown सूची से चुनें उसके उपरांत ही प्रपत्र-6 के स्तम्भ - 2 से पिता/पति का नाम प्रविष्ट करें।
15. आधार नंबर- प्रपत्र- 6 से आधार नंबर प्रविष्ट करें।  
(प्रविष्ट किए गए आधार नंबर की दुबारा जांच कर लें)
16. रैयत का नाम अंग्रेजी में - प्रपत्र-6 से रैयत का नाम अंग्रेजी में (आधार कार्ड में प्रविष्ट के अनुसार) प्रविष्ट करें।

(आधार कार्ड पर अंकित अंग्रेजी अक्षरों (Capital English Alphabets) से ही नाम प्रविष्ट करना है।)

17. पता - प्रपत्र-6 (हार्ड प्रति) के स्तम्भ - 2 से रैयत का पता प्रविष्ट करें।
18. जाति - प्रपत्र-6 (हार्ड प्रति) से जाति को दी हुई सूची से चयनित करें।
19. Gender - प्रपत्र-6 (हार्ड प्रति) से Gender दी हुई सूची से चयनित करें।
20. रकबा - (System में English भाषा चयनित करें) एकड़ एवं डेसीमल प्रपत्र-6 के कॉलम 7 एवं 8 के अनुसार लिखें।
21. मोबाइल नं०- रैयत का मोबाइल नं० प्रविष्ट करें।

## प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह एंटी AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 26	अंचल : घाटकुसुमभा 1	मौजा : Gurera	हलका : 1	थाना नं० : 91	
क्र.संख्या (1 से 8)    अन्य हिस्सेदार हैं?    चौहद्दी (क्र.संख्या-9 -11)    क्र.संख्या- 12 से आगे					
नया खेसरा सं० *	345	Ref Khesra No		धारण का प्रकार *	रैयती (रैयती)
रैयत का नाम *	राम कुमार	पिता का नाम	श्याम कुमार		
आधार नं०	454545454545	रैयत का नाम अंग्रेज़ी में आधार के अनुसार	RAM KUMAR		
पता *	घाटकुसुमभा 1 Address Line 1				
जाति	सोनार	Gender	Male		
एकड़		डेसीमल	मोबाइल नं०		
रकबा *	1	33	9898989898		
	Save	Next ->			
New Entry	Tab 1	Tab 2	Tab 3	Tab 4	

22. पुराना खाता संख्या और पुराना खेसरा संख्या लिखें - यदि 1 से ज्यादा पुराना खेसरा संख्या की जानकारी है तो “जोड़े” बटन पर क्लिक करें। खाता एवं खेसरा कॉलम में एक ही जानकारी प्रविष्ट करें। ज्यादा खेसरा की जानकारी होने पर “जोड़े” बटन पर क्लिक करें। “जोड़े” बटन पर क्लिक करने के बाद नया Row आएगा जिसमें दूसरे खेसरे की जानकारी की प्रविष्टि करनी है।

किसी भी परिस्थिति में खेसरा या खाता में 2 जानकारी की प्रविष्टि नहीं करनी है।

**महत्वपूर्ण जानकारी - पुराना खेसरा एक हो या एक से ज्यादा दोनों परिस्थिति में “जोड़ें” बटन पर क्लिक करें।**

(जिस नये खेसरे की आप प्रविष्टि कर रहे हैं, वो पूर्व में जिस खाता के खेसरा/खेसराओं से मिलकर बना है उसकी एंट्री करें। यदि किसी पुराने खेसरे में खाता नंबर ज्ञात नहीं है तो उसमें ‘0’ की एंट्री करें। यदि एक खाता में दो पुराने खेसरो की जानकारी है तो दो row में जानकारी की प्रविष्टि होगी।)

23. “Save” बटन पर क्लिक करें।

“Save” बटन पर क्लिक करने के बाद Tab1 जो अभी लाल रंग में है हरे रंग का हो जाएगा और टिक मार्क हो जाएगा।

“Save होने के बाद Tab 4 के दाहिने तरफ 14 अंकों का एक Unique नंबर(26010024000065) दिखेगा जिसे रैयत को दिया जाना आवश्यक है।”

जाति	सोनार	Gender	Male	
	एकड़	डेसीमल	मोबाइल नं०	
रकबा *	1	33	9898989898	
	Save	Next ->		

New Entry	Tab 1 ✓	Tab 2	Tab 3	Tab 4	26010024000065
-----------	---------	-------	-------	-------	----------------

24. “Next” बटन पर क्लिक करें।

“Next” बटन पर क्लिक करते ही दुसरे Tab page “अन्य हिस्सेदार हैं” में जाएंगे।



Directorate of Land Records & Survey  
Government of Bihar

Land Survey Management System

| Home | Entry | Update | Delete | Report | Miscellaneous

SUBODH KUMAR

प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह एंट्री AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 26	अंचल : घाटकुसुमभा 1	मौजा : Gurera v	हलका : 1	थाना नं० : 91
क्र.संख्या (1 से 8)	अन्य हिस्सेदार हैं?	चौहद्दी (क्र.संख्या-9 -11)	क्र.संख्या- 12 से आगे	
अन्य हिस्सेदार हैं ?	नहीं v			
New Entry	Tab 1 ✓	Tab 2	Tab 3	Tab 4
				26010024000065

25. अन्य हिस्सेदार हैं?- यदि आप जिस नये खेसरे की एंट्री कर रहे हैं उसमें अन्य हिस्सेदार है तो “हाँ” को चयनित करें। हाँ करने के बाद पहले Row में पिता/पति का नाम, जाति, एवं पता पहले रैयत में की गई प्रविष्टि के अनुसार सॉफ्टवेयर स्वतः ले लेगा, आवश्यकता अनुसार उक्त जानकारी में बदलाव किया जा सकता है।

**प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )**  
यह एंटी AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दीवस्त पदा0 के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : शोखपुरा 26    अंचल : घाटकुसुमभा 1    मीना : Gurera    हलका : 1    थाना नं० : 91

क्र.संख्या (1 से 8)    अन्य हिस्सेदार हैं?    चौहद्दी (क्र.संख्या-9 -11)    क्र.संख्या- 12 से आगे

अन्य हिस्सेदार हैं ?    हाँ    ↓

रैयत का नाम \*    पिता का नाम    श्याम कुमार    जाति    सोनार    ↓

पता    घाटकुसुमभा    गली - 1    जोड़े    Next ->

New Entry    Tab 1 ✓    Tab 2    Tab 3    Tab 4    26010024000065


26. हिस्सेदार की जानकारी लिखें (रैयत का नाम , पिता/पति का नाम , जाति, एवं पता)।

27. सारी जानकारी भरने के बाद “जोड़े” बटन पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद पॉपअप मैसेज आएगा। पॉपअप मैसेज में “OK” बटन पर क्लिक करें।

Apps    Note for Cryptogra...    Data Encryption Sta...    Note for Cryptogra...    Con

dlrs.bihar.gov.in says  
One other holder saved successfully. Sr.No-3    OK

 **Directorate of Land Records & Survey**  
Government of Bihar  
बिहार सरकार

| Home | Entry | Update | Delete | Report | Miscellaneous

यदि 1 से ज्यादा हिस्सेदार हैं तो “जोड़े” बटन पर क्लिक करके जितने हिस्सेदार हैं, सबकी जानकारी एक-एक करके प्रविष्ट करें। हिस्सेदार की जानकारी में किसी भी प्रकार के बदलाव करने के लिए उक्त हिस्सेदार के row में “Edit” बटन पर क्लिक करें। Save होने के बाद Tab 2 जो अभी लाल रंग में है हरे रंग का हो जाएगा और टिक मार्क हो जाएगा।

हरे रंग होने का तात्पर्य है की आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वह सुरक्षित हो गई है।

प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह एंट्री AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 26    अंचल : घाटकुसुमभा 1    मौजा : Gurera    हलका : 1    थाना नं० : 91

क्र.संख्या (1 से 8)    अन्य हिस्सेदार हैं?    चौहद्दी (क्र.संख्या-9 -11)    क्र.संख्या- 12 से आगे

अन्य हिस्सेदार हैं?

रैयत का नाम \*     पिता का नाम     जाति

पता        

SNo.	Name	Flag	Fathermm	Add1	Add2		
1	रमेश	F	श्याम कुमार	घाटकुसुमभा	घाटकुसुमभा	Edit	Delete
2	सुमन	H	श्याम कुमार	घाटकुसुमभा	घाटकुसुमभा	Edit	Delete
3	सुदीप	F	रमण कुमार	घाटकुसुमभा	घाटकुसुमभा	Edit	Delete

New Entry    Tab 1 ✓    Tab 2 ✓    Tab 3    Tab 4    26010024000065

28. "Next" बटन पर क्लिक करें।

29. क्लिक करने के पश्चात तीसरा Tab पेज "चौहद्दी (क्र० संख्या 9-11) खुलेगा।



प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )

यह एंट्री AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 26

अंचल : घाटकुसुमभा 1

मीजा : Gurera ▾

हलका : 1

क्र.संख्या (1 से 8)

अन्य हिस्सेदार हैं?

चौहद्दी (क्र.संख्या-9 -11)

क्र.संख्या- 12 से आगे

	चौहद्दी	Ref. Khesra No.
उत्तर *	<input type="text"/>	<input type="text"/>
दक्षिण *	<input type="text"/>	<input type="text"/>
पूर्व *	<input type="text"/>	<input type="text"/>
पश्चिम *	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="button" value="चौहद्दी भरे"/>
भौतिक विवरण चुनें	<input type="text" value="~~भौतिक विवरण चुनें~~"/>	<input type="button" value="ADD"/>
भूमि का वर्गीकरण	<input type="text" value="~~ भूमि का प्रकार चुनें ~~"/> <input type="button" value="ADD"/>	<input type="button" value="Update"/> <input type="button" value="Next -&gt;"/>

30. चौहद्दी -प्रपत्र -6 (हार्ड प्रति) में चौहद्दी की जानकारी कॉलम 9 में दी गई है, उसे प्रविष्ट करें।  
(यदि आपको चौहद्दी के खेसरा संख्या की जानकारी है तो उसके नये खेसरा संख्या को Ref. Khesra No. में प्रविष्ट करें एवं उसके उपरांत “चौहद्दी भरे” पर क्लिक करें।



ज़िला : शेखपुरा 26    अंचल : घाटकुसुमभा 1    मौजा : Gurera    हलका : 1    थाना नं० : 91

क्र.संख्या (1 से 8)    अन्य हिस्सेदार हैं?    चौहदी (क्र.संख्या-9 -11)    क्र.संख्या- 12 से आगे

	चौहदी	Ref. Khesra No.
उत्तर *	साकेत कुमार	33
दक्षिण *	पारसनाथ सिंह	34
पूर्व *	परसुराम राम	44
पश्चिम *	साकेत कुमार	33
भौतिक विवरण चुनें	~भौतिक विवरण चुनें~	चौहदी भरे ADD

31. भौतिक विवरण चुनें एवं उसके विवरण का प्रकार चुनें, उसके उपरांत “ADD” बटन पर क्लिक करें।

**महत्वपूर्ण जानकारी -भौतिक विवरण एक हो तो भी उसे select करके “Add” बटन पर क्लिक करें।**

(भौतिक विवरण में 1 या 1 से अधिक प्रविष्टि हो सकती है। भौतिक विवरण की अधिकतम 4 प्रविष्टि संभव है। प्रत्येक प्रविष्टि को संधारित करने के लिए “ADD” बटन पर क्लिक करें।)

पूर्व *	परसुराम राम	44
पश्चिम *	साकेत कुमार	33
भौतिक विवरण चुनें	शैक्षणिक संस्थान	चौहदी भरे मध्य विद्यालय (सरकारी)    ADD

Cat ID	Cat Name	Sub Cat. ID	Sub Cat. Name	
5	संचार तंत्र	32	टेलिफोन कार्यालय	Delete

“ADD” बटन पर क्लिक करने के पश्चात पॉपअप मैसेज आएगा।  
पॉपअप मैसेज में “OK” बटन पर क्लिक करें।

The screenshot shows the website interface for the Directorate of Land Records & Survey, Government of Bihar. A modal window displays the message: "dlrs.bihar.gov.in says One Physical Layer saved successfully." with an "OK" button. The navigation bar includes links for Home, Entry, Update, Delete, Report, and Miscellaneous.

32. भूमि का वर्गीकरण चुनें।

**महत्वपूर्ण जानकारी -भूमि का वर्गीकरण एक हो तो भी उसे select करके “Add” बटन पर क्लिक करें।**

(भूमि का वर्गीकरण में सूची से अधिकतम 2 प्रविष्टि हो सकती है, प्रत्येक प्रविष्टि को संधारित करने के लिए “ADD” बटन पर क्लिक करें।)

“ADD” बटन पर क्लिक करने के पश्चात पॉपअप मैसेज आएगा।  
पॉपअप मैसेज में “OK” बटन पर क्लिक करें।

उ	संघार तंत्र	उए
12	शैक्षणिक संस्थान	81

भूमि का वर्गीकरण	झाड़ी	ADD
	ID	Name
	4	झाड़ी
	1	कृषि धनहर

Dept of Land Records & Survey | Directorate of Land Records & Survey | Directorate of Land Records & Survey | Directorate of Land Records & Survey

Not secure | dlrs.bihar.gov.in/Survey/BS/PrapatraEntry/Prapatra6a.aspx?ids=1&trid=trid&mza=24

Apps Note for Cryptogra... Data Encryption Sta... Note for Cryptogra

dlrs.bihar.gov.in says  
One Land Type saved successfully.

OK

Directorate of Land Records & Survey  
Government of Bihar  
बिहार सरकार

Home | Entry | Update | Delete | Report | Miscellaneous

33. “Save” बटन पर क्लिक करें।

Save होने के बाद Tab3 जो अभी लाल रंग में है हरे रंग का हो जाएगा और टिक मार्क हो जाएगा। हरे रंग होने का तात्पर्य है की आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वह सुरक्षित हो गई है।

34. “Next” बटन पर क्लिक करें।

**प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)**

यह एंटी AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 26    अंचल : घाटकुसुमभा 1    मौजा : Gurera    हलका : 1    थाना नं० : 91

क्र.संख्या (1 से 8)    अन्य हिस्सेदार हैं?    चौहद्दी (क्र.संख्या-9 -11)    **क्र.संख्या- 12 से आगे**

फसल के अंतर्गत			सेस को छोड़कर लगान
रकबा	एकड़	डेसीमल	नवैयत *
भदई			~ नवैयत चुनें ~
आहनी			वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप <input type="checkbox"/> कृषि <input type="checkbox"/> परती <input type="checkbox"/> आवासीय <input type="checkbox"/> व्यावसायिक <input type="checkbox"/> औद्योगिक/अन्य
रब्बी			पार्सल यूनिट ~ पार्सल यूनिट चुनें ~
अन्य फसल			
कृषि योग्य			यादश्त पंजी की क्रम संख्या
कृषि हेतु अयोग्य			अभ्युक्ति

35. रकबा -फसल के अंतर्गत रकबा की जानकारी यदि प्राप्त है तो (एकड़ एवं डेसीमल) उसकी प्रविष्टि करें।

36. सेस को छोड़कर लगान- यदि सेस को छोड़कर लगान प्रपत्र-6 में उपलब्ध है तो उसकी प्रविष्टि करें।

37. नवैयत - इस कॉलम के आँकड़े प्रपत्र-6 के अभियुक्ति कॉलम में लेना अनिवार्य है। नवैयत को दी हुई सूची से चयनित करें।

महत्वपूर्ण जानकारी -नवैयत एक हो तो भी उसे select करके “Add” बटन पर क्लिक करें।

(सूची से न्यूनतम 1 एवं अधिकतम 3 प्रविष्टि हो सकती है, प्रत्येक प्रविष्टि को संधारित करने के लिए “ADD” बटन पर क्लिक करें।)

“ADD” बटन पर क्लिक करने के पश्चात पॉपअपमैसेज आएगा। पॉपअप मैसेज में “OK” बटन पर क्लिक करें।

प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह एंट्री AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 26    अंचल : घाटकुसुमभा 1    मौजा : Gurera    हलका : 1    थाना नं० : 91

क्र.संख्या (1 से 8)    अन्य हिस्सेदार हैं?    चौहद्दी (क्र.संख्या-9 -11)    **क्र.संख्या- 12 से आगे**

फसल के अंतर्गत			सेस को छोड़कर लगान
रकबा	एकड़	डेसीमल	2
भदई	<input type="text"/>	<input type="text"/>	नवैयत *
अगहनी	<input type="text"/>	<input type="text"/>	घोषित बदाईदार <input type="button" value="ADD"/>

ID	Name	
1	रैयती/खतियानी/मौरूसी	Delete

dlrs.bihar.gov.in says

One Navayet saved successfully.



**Directorate of Land Records & Survey**  
Government of Bihar

बिहार सरकार

[Home](#) | [Entry](#) | [Update](#) | [Delete](#) | [Report](#) | [Miscellaneous](#)

38. वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप चुनें (1 से अधिक भूमि के उपयोग को चुना जा सकता है)। इस कॉलम के आँकड़े अभियुक्ति कॉलम में लेना अनिवार्य है।
39. पार्सल यूनिट - पार्सल यूनिट (Land Use) को दी हुई सूची से चयनित करें।  
पार्सल यूनिट को चयनित करने के उपरांत उपसूची (Land Cover) को चयनित करें।
40. यादृशत पंजी की क्रम संख्या अंकित करें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रविष्टि है।
41. अभ्युक्ति- प्रपत्र-6 के कॉलम-24 में यदि कोई अभियुक्ति (Remarks) दी गई है तो उसे भी इस कॉलम में भरें। प्रपत्र-6 (हार्ड प्रति) से नवैयत, वर्तमान में भूमि का उपयोग एवं पार्सल यूनिट की सूची से ही सही विकल्प का चयन कर, उसकी प्रविष्टि करें।  
अधिकतम 100 शब्द की प्रविष्टि संभव है।


फसल के अंतर्गत			सेस को छोड़कर लगान	2						
रकबा	एकड़	डेसीमल	नवैयत *	घोषित बढाईदार <input type="button" value="ADD"/>						
भदई	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Name</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>रेयती/खतियानी/मौरूसी</td> <td>Delete</td> </tr> </tbody> </table>	ID	Name		1	रेयती/खतियानी/मौरूसी	Delete
ID	Name									
1	रेयती/खतियानी/मौरूसी	Delete								
अगहनी	<input type="text"/>	<input type="text"/>	वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप	<input checked="" type="checkbox"/> कृषि <input checked="" type="checkbox"/> परती <input checked="" type="checkbox"/> आवासीय <input checked="" type="checkbox"/> व्यावसायिक <input type="checkbox"/> औद्योगिक/अन्य						
रब्बी	<input type="text"/>	<input type="text"/>	पार्सल यूनिट	आवासीय <input type="button" value="v"/>						
अन्य फसल	<input type="text"/>	<input type="text"/>		पक्का मकान सह मिश्रित उपयोग <input type="button" value="v"/>						
कृषि योग्य	<input type="text"/>	<input type="text"/>	यादृशत पंजी की क्रम संख्या	122						
कृषि हेतु अयोग्य	<input type="text"/>	<input type="text"/>	अभ्युक्ति	उ इउईउ दिअफ इपदी दूदरएदर						

42. "Save" बटन पर क्लिक करें।

आहली	<input type="text"/>	<input type="text" value="30"/>
रबो	<input type="text"/>	<input type="text" value="70"/>
अन्य कस्त	<input type="text"/>	<input type="text"/>
कृषि योग्य	<input type="text"/>	<input type="text"/>

अभ्युक्ति

43. OK बटन पर क्लिक करने के बाद मैसेज popup आएगा।  
 “Saved successfully ”



Save होने के बाद Tab 4 जो अभी लाल रंग में है हरे रंग का हो जाएगा और टिक मार्क हो जाएगा। हरे रंग होने का तात्पर्य है कि आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है वह सुरक्षित हो गई है।

## पंजी का प्रपत्र )

क बन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

हलका : 1	थाना नं० : 91						
सेस को छोड़कर लगान	2						
नवैयत *	घोषित बटाईदार <input type="button" value="ADD"/>						
	<table border="1"><thead><tr><th>ID</th><th>Name</th><th>Delete</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>रेयती/खतियानी/मीरूसी</td><td>Delete</td></tr></tbody></table>	ID	Name	Delete	1	रेयती/खतियानी/मीरूसी	Delete
ID	Name	Delete					
1	रेयती/खतियानी/मीरूसी	Delete					
वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप	<input checked="" type="checkbox"/> कृषि <input checked="" type="checkbox"/> परती <input checked="" type="checkbox"/> आवासीय <input checked="" type="checkbox"/> व्यावसायिक <input type="checkbox"/> औद्योगिक/अन्य						
पार्सल यूनिट	आवासीय						
यादश्त पंजी की क्रम संख्या	पक्का मकान सह मिश्रित उपयोग						
अभ्युक्ति	122						
	उ इउईउ दिअफ इपदी इदरएदर						
<input type="button" value="Update"/>							
Tab 4 ✓	26010024000065						

“पुनः दूसरे खेसरे की जानकारी इस कॉलम के आँकड़े प्रपत्र-6 के अभियुक्ति कॉलम में लेना अनिवार्य है। प्रविष्ट करने के लिए उक्त पेज में नीचे बाईं तरफ “New Entry” बटन पर क्लिक करें।”



Directorate of Land Records & Survey  
Government of Bihar

Land Survey Management System

| Home | Entry | Update | Delete | Report | Miscellaneous

SUBODH KUMAR

## प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र )

यह एंट्री AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 26	अंचल : घाटकुसुमभा 1	मौजा : Gurera	हलका : 1	थाना नं० : 91	
क्र.संख्या (1 से 8)	अन्य हिस्सेदार हैं?	चौहद्दी (क्र.संख्या-9 -11)	क्र.संख्या- 12 से आगे		
अन्य हिस्सेदार हैं ?	नहीं				
<input type="button" value="New Entry"/>	Tab 1 ✓	Tab 2	Tab 3	Tab 4	26010024000065





## प्रपत्र - 6 की डाटा प्रविष्टि के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:

- प्रपत्र-6 में मुख्यतः 6 प्रकार की सूची है, जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए “Miscellaneous” ऑप्शन में Master पर क्लिक करने के पश्चात “Master Report” में देखा जा सकता है।
- सभी छः प्रकार की सूची का प्रिन्ट अपनी सुविधानुसार लिया जा सकता है।
- वर्तमान में भूमि के उपयोग एवं पार्सल यूनीक ( Land Use, Land Cover) की जानकारी प्रपत्र - 6 की अभियुक्ति कॉलम में पूर्व में संधारित करना अनिवार्य है।
- Ref.Khesra No.- कभी भी Ref Khesra No. में पहले खेसरा न० की ही एंट्री करें।
- सभीनंबर के फील्ड में एंट्री सिस्टम के “English” भाषा को चयनित करके ही करें।
- अन्य सभी जानकारी हिंदी भाषा में करें।
- कभी भी किसी प्रपत्र की एंट्री मोबाइल फ़ोन से नहीं करें।
- यदि प्रपत्र-6 की एंट्री में कुछ बदलाव किया जाना है तो, Entry ऑप्शन में प्रपत्र-6 पर क्लिक करें। उसके उपरांत जिस खेसरा नंबर की किसी जानकारी में बदलाव किया जाना है उसे “नया खेसरा संख्या” में अंकित करें।
- सारी जानकारी को एक बार मिलाप कर लें, उसके बाद “Update” बटन पर क्लिक करें।



प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह एंट्री AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदाी के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 26	अंचल : घाटकुसुमभा 1	मौजा : Gurera	हकका : 1	धाना नं० : 91
<p>क्र.संख्या (1 से 8)    अन्य हिस्सेदार हैं?    चौदही (क्र.संख्या-9 -11)    क्र.संख्या-12 से आगे</p>				
नया खेसरा सं० *	Ref Khesra No	धारण का प्रकार * ~धारण का प्रकार चुनें~		
रैयत का नाम *	पिता का नाम			
आधार नं०	रैयत का नाम अंग्रेज़ी में <small>आधार के अनुसार</small>	<p>क्रम क्र०    पुराना खेसरा सं०    पुराना खेसरा सं०    जोड़े</p>		
पता *	Address Line 1 Address Line 1			
जाति ~जाति चुनें~	Gender	-Select-		
एकड़	डेसीमल	मोबाइल नं०		
रकबा *				
Save		Next ->		
New Entry	Tab 1	Tab 2	Tab 3	Tab 4



प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह पंजी AKANKSHA KUMARI, सहायक नन्दोवस्त पदा० के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

जिला : शेखपुरा 26	अंचल : घाटकुसुमा 1	मौजा : Gurera	इलाका : 1	धाना नं० : 91
क्र.संख्या (1 से 8)	अन्य हिस्सेदार हैं?	चाँहदी (क्र.संख्या-9 -11)	क्र.संख्या. 12 से आगे	
अन्य हिस्सेदार हैं ?	हाँ			
रैयत का नाम *		पिता का नाम		जाति ~~~ चाँहदी चुने ~~~
पता			जोड़े	Next ->
New Entry	Tab 1	Tab 2	Tab 3	Tab 4



प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह पंजी AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त पदाधी के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 28	अंचल : घाटकुसुमभा 1	मौजा : Gurera	हकका : 1	धाना नं० : 91
क्र.संख्या (1 से 8)	अन्य हिस्सेदार हैं?	चौहट्टी (क्र.संख्या-9 -11)	क्र.संख्या-12 से आगे	
उत्तर *				
दक्षिण *				
पूर्व *				
पश्चिम *				
चौहट्टी		Ref. Khesra No.		
भौतिक विवरण चुनें	~भौतिक विवरण चुनें~	ADD	चौहट्टी भरे	
भूमि का वर्गीकरण	~भूमि का प्रकार चुनें~	ADD	Save	Next ->

New Entry Tab 1 Tab 2 Tab 3 Tab 4



प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी का प्रपत्र)

यह एंट्री AKANKSHA KUMARI, सहायक बन्दोवस्त प्रदाता के देख रेख में संपन्न हो रहा है।

ज़िला : शेखपुरा 26	अंचल : घाटकुसुमभा 1	मौजा : Gurea	हकका : 1	धाना नं० : 91
क.संख्या (1 से 8)	अन्य हिस्सेदार हैं?	चौहद्दी (क.संख्या-9 -11)	क.संख्या: 12 से आगे	
फसल के अंतर्गत	रकबा	एकड़	डेसीमल	सेस को छोड़कर लगान
भदई				नवैयत *
अगहली				वर्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप
रबी				पारसल यूनिक
अन्य फसल				
कृषि योग्य				यादाहत पंजी की क्रम संख्या
कृषि हेतु अयोग्य				अभ्युक्ति
				Save

New Entry Tab 1 Tab 2 Tab 3 Tab 4

फॉर्म-6 की इंट्री के पश्चात् इंट्री की संपूर्णता को सत्यापित करने के लिए विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा उपरोक्त चारों टैब में सम्मिलित की जानेवाली सूचनाओं के लिए निम्न चेकलिस्ट को आधार बनाकर जाँच कर सकते हैं:-

### 3.5 भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में Form- 6 की इंट्री का राजस्व ग्रामवार चेकलिस्ट

01.	क्या भू सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में लॉग इन कर मौजा का चयन किया गया है ?	
02.	क्या फॉर्म खुलने पर नये खेसरो की कुल संख्या को भर दिया गया है ?	
03.	क्या मौजा का कुल रकबा अंकित कर दिया गया है ?	
04.	क्या "इनकी देख-रेख में" कॉलम में शिविर प्रभारी का नाम अंकित कर दिया गया है ?	
05.	क्या रैयत के लिए नया खेसरा कॉलम- 04 में अंकित किया गया है ?	
06.	क्या खेसरा संख्या क्षेत्रफल (एकड़-डेसीमल) के साथ अंकित है ?	
07.	क्या रैयत का नाम, आधार, मोबाईल नं0, पिता/पति का नाम, पता एवं जाति का नाम अंकित किया गया है ?	
08.	क्या खेसरा के धारण का प्रकार अंकित किया गया है ?	
09.	क्या खेसरा के अन्य हिस्सेदारों की इंट्री कर ली गई है ?	
10.	क्या पुराने खाता संख्या एवं पुराने खेसरा संख्या को जोड़ लिया गया है ?	
11.	क्या चौहद्दीदारों के नाम की इंट्री खेसरा संख्या के संदर्भ के साथ कर ली गई है ?	
12.	क्या खेसरे पर उपलब्ध सभी भौतिक विवरणी की इंट्री कर ली गई है ?	
13.	क्या खेसरे के विरुद्ध "भूमि के प्रकार" की इंट्री कर ली गई है ?	
14.	क्या कृषि हेतु योग्य एवं अयोग्य भूमि का विवरण भर लिया गया है ?	
15.	क्या शेष को छोड़कर लगान की इंट्री कर ली गई है ?	
16.	क्या खेसरे के विरुद्ध नवैयत की इंट्री कर ली गई है ?	
17.	यदि खेसरे का एक से अधिक उपयोग है तो इसकी इंट्री कर ली गई है ?	
18.	क्या प्रत्येक खेसरे के लिए "पार्सल यूनिट" की इंट्री कर ली गई है ?	
19.	क्या प्रत्येक खेसरे के लिए याददाश्त पंजी की क्रम संख्या भर ली गई है ?	
20.	क्या प्रत्येक खेसरे के लिए अभ्युक्ति कॉलम भर लिया गया है ?	